

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 225 OF 2025

IN THE MATTER OF:

News Item titled “वाश ग सटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बबाद” appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GAUTAM BUDDHA NAGAR IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 08.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE THE LETTER DT. 13.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTERS DT. 29.07.2025 AND 13.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	
4.	COPY OF THE COPY OF THE LIST OF 138 IDENTIFIED UNITS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPIES OF THE LETTERS DT. 05.08.2025, 23.08.2025,18.08.2025 AND 25.08.2025 HAVE	

	BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4.	
6.	COPIES OF THE LETTERS DT. 05.08.2025, 23.08.2025, 18.08.2025 AND 25.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5.	
7.	A COPY OF THE LETTERS DT. 05.08.2025, 23.08.2025 AND 18.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6.	
8.	COPIES OF THE NOTICES TO 13 UNITS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7.	
9.	COPIES OF SHOW CAUSE NOTICES TO 10 UNITS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8.	
10.	COPIES OF THE LETTERS DT. 09.09.2025 AND NOTICES ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-9.	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 13.09.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 225 OF 2025

IN THE MATTER OF:


News Item titled "वाशिंग सेन्टर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025

**RESPONSE ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, GAUTAM
BUDDHA NAGAR IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 08.05.2025
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I, Medha Roopam, aged about 34 years, W/o Manish Bansal, presently posted as District Magistrate, Gautam Buddha Nagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.



I. BACKGROUND OF THE MATTER


3. That in the present matter, the original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेन्टर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025. That the news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles

- including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The

article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing

centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs).

However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains



and causing significant water wastage.

4. That this Hon'ble Tribunal vide order dt. 08.05.2025 directed as under:

"7. Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal."

III. CONSTITUTION OF THE COMMITTEE BY THE DEPONENT

5. That in compliance of the aforementioned order the deponent constituted a committee vide letter dt. 13.08.2025, comprising of:

- Additional District Magistrate (Administration), Gautam Buddha Nagar.
- Regional Officer Pollution Control Board, Noida / Regional Officer Pollution Control Board, Greater Noida.
- Executive Engineer, Uttar Pradesh Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar.



That the committee was directed to survey and take actions against the violators accordingly.

A Copy of the letter dt. 13.08.2025 has been annexed herewith as


ANNEXURE R-1.

IV. LETTERS FROM UPPCB TO GROUND WATER DEPARTMENT

6. That further the UPPCB Noida and Greater Noida has written letters dt. 29.07.2025 and 13.08.2025 to the Executive Engineer, Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar Department. That vide the said letters the following details were requested in a prescribed format:

- The list of vehicle service and washing centers in District Gautam Buddh Nagar which have obtained NOC for groundwater extraction from the U.P. Ground Water Department, and
- The details of action taken by the department against those who have not obtained the same.

Copies of the letters dt. 29.07.2025 and 13.08.2025 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**



V. COMMITTEE INSPECTIONS


That pursuant thereto, the committee inspected the said units on 05.08.2025 and 19.08.2025. That during such inspections, the following violations were identified:

Particulars	Noida	Greater Noida	Total
No. of service and washing centers identified in non-conforming area	100	38	138

A Copy of the list of 138 units has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

VI. ACTION REGARDING ILLEGAL BOREWELLS

8. That the UPPCB NOIDA has written letters dt. 05.08.2025 and 23.08.2025 to the Executive Engineer, Ground Water Department, Division – Gautam Buddh Nagar. That the said letter state that (58+42) = 100 car/motorcycle service/washing centers have been found using groundwater for washing purposes and borewells have been established for groundwater extraction. That no evidence of obtaining NOC from the U.P. Ground Water Department for such groundwater extraction has been provided. Therefore wide the said letters it has been requested to the Ground Water Department to verify the borewells and NOCs of all the car/motorcycle service/washing centers and take necessary action against the violators as per rules.



9. Similarly, the UPPCB Greater NOIDA has written letters dt. 18.08.2025


and 25.08.2025 to the Executive Engineer, Ground Water Department, Division – Gautam Buddh Nagar to verify the status with respect to the $(33+5) = 38$ car/motorcycle service/washing centers and take necessary action against the violators.

Copies of the letters dt. 05.08.2025, 23.08.2025, 18.08.2025 and 25.08.2025 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-4**.

VII. DISCONNECTION OF ELECTRICITY

10. That the UPPCB NOIDA and UPPCB Greater NOIDA has written letters dt. 05.08.2025, 23.08.2025, 18.08.2025 and 25.08.2025 to the Chief Engineer, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. (PVVNL), NOIDA and General Manager, NPCL, Greater NOIDA to disconnect the electricity connections of the 138 identified service and washing centres.

Copies of the letters dt. 05.08.2025, 23.08.2025, 18.08.2025 and 25.08.2025 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-5**.



VIII. ACTION ON LAND USE VIOLATION

11. That the UPPCB NOIDA and UPPCB Greater NOIDA has written letters dt. 05.08.2025, 23.08.2025, 18.08.2025 and 25.08.2025 to the Additional Chief Executive Officer, New Okhla Development Authority, NOIDA and Additional Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority, Greater Noida. That vide the said letters it has

been requested to verify the land use status of the service/washing centers established/operating in violation of the Master Plan, and to take appropriate legal action against the violators.

A Copy of the letters dt. 05.08.2025, 23.08.2025, 18.08.2025


have been annexed herewith as **ANNEXURE R-6.**

**IX. ACTION TAKEN WITH RESPECT TO THE UNITS
OPERATING IN INDUSTRIAL AREAS**

12. That furthermore, the officials of UPPCB, Greater Noida have carried out inspections of 24 automobile service centers established within the industrial areas of GNIDA and UPSIDA. Upon inspection, it was found that 13 of these service centers were operating without obtaining the mandatory Consent to Operate (CTO) from the UPPCB. Consequently, the UPPCB issued notices to all the said 13 service centers directing them to obtain CTO. Out of these 13 service centers, Show Cause Notices have already been issued to 10 service centers under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, whereas action against the remaining 3 service centers is presently under process, as the stipulated period of 15 days granted to them has not yet expired.

Copies of the Notices to 13 units have been annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

Copies of show cause notices to 10 units have been annexed herewith as



ANNEXURE R-8.


X. ACTIONS TAKEN BY GROUND WATER
DEPARTMENT

13. That it is pertinent to submit here that the U.P. Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar has informed vide letters 09.09.2025 that 55 car washing centres have been identified by them in Greater Noida and notices have been issued to them regarding the illegal ground water abstraction. Copies of the letters dt. 09.09.2025 and notices have been annexed herewith as ANNEXURE R-9.

14. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.


15. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.





DEPONENT

VERIFICATION


Verified at Gautam Buddha Nagar_on this 11th day of September, 2025,
that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 15 are
believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No
part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT



ATTESTED



ADVOCATE & NOTARY
Virendra Kr. Garg
Reg. No.-2874, G.B. Nagar

कार्यालय

जिलाधिकारी

गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- N.C.T. - OA - 225/2025

दिनांक- 13-8-25

आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 225/2025, News Item titled "वाँसिंग सेंटर पर 1000 अवैध वहाँ हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagran City Noida Dated 27.04.2025 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (पताका -क) के अनुक्रम में उपरोक्त प्रकरण की जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जाता है।

1. अपर जिलाधिकारी (प्र०), गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा /
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर।

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

समिति सदस्यों को यह निर्देशित किया जाता है कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालनार्थ में उल्लिखित विन्दुओं की जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आख्या 15 दिन में अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिससे आख्या ससमय मा० अधिकरण के समक्ष प्रेषित की जा सके।

(मेधा रूपम)

जिलाधिकारी

गौतमबुद्ध नगर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस आशय से के उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

1. अपर जिलाधिकारी (प्र०), गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर।

जिलाधिकारी

गौतमबुद्ध नगर।



पत्रांक:- 392/L-215/2025
सेवा में,

दिनांक:- 29-07-2025

अधिकाारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर,
ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, ग्रेटर नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-225/2025
News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के
अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा
आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है-

"...1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर
1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle
washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating
in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water
Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is
mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted
when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250
vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily.
With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water
every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence
of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous
Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal
centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage...."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 15.09.2025
को नियत है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित
उक्त आदेश के अनुपालन में आप द्वारा की गयी कार्यवाही, जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत
भूजल निकासी हेतु उ0प्र0 भूजल विभाग से प्राप्त एनओसी वाहन सर्विस व वाशिंग सेंटरों की
सूची तथा जिनके द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है उक्त के विरुद्ध विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का
विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ
प्रेषित।।

क्षेत्रीय अधिकारी

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत वाहन सर्विस व वाशिंग सेन्टरों के सम्बन्ध में सूचना—

क्र०	उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर से एनओसी प्राप्त वाहन सर्विस व वाशिंग सेन्टर का नाम व पता	एनओसी की वैधता अवधि	एनओसी प्राप्त न करने वाले वाहन सर्विस व वाशिंग सेन्टर का नाम व पता	उक्त के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण	मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या—225/2025 News Item titled Noida dated 27.04.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही का विवरण



277 क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या :

572/1447-85/25

दिनांक : 13/8/25

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर
ए0ई0- 18, असंल गोल्फ लिंक-2,
दादरी मेन रोड, ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है-

“.....1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled “वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद ”appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.

2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a fourwheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.....”

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 15.09.2025 को नियत है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में आप द्वारा की गयी कार्यवाही, जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत भूजल निकासी हेतु उ0प्र0 भूजल विभाग से प्राप्त एन0ओ0सी0/रजिस्ट्रेशन वाहन सर्विस व वाशिंग सेन्ट्रो की सूची तथा जिनके द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है, उक्त के विरुद्ध विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण दिनांक 05.08.2025 तथा दिनांक 19.08.2025 को किया गया, जिसका विवरण अक्षांश व देशान्तर सहित निम्नवत् है—

क्र०सं०	वाशिंग सर्विस सेन्टर का नाम व पता	अक्षांश, देशान्तर
1	मै० फखरू आटो सर्विस सेन्टर, मेन रोड, जेड-335, सेक्टर-12, नोएडा	28.598897,77.342442
2	मै० निखत मोटर कार वाशिंग, मेन रोड, जेड-15, सेक्टर-12, नोएडा	28.599145,77.342069
3	मै० एस०एफ० मोटर वाशिंग सेन्टर, गली नं० 1, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601231,77.372996
4	मै० राजेश ऑटो सर्विस सेन्टर, शॉप नं० 02, गली नं० 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601255,77.373048
5	मै० इण्डियन टायर, शॉप नं० 227, गली नं० 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601269,77.373609
6	मै० सुपर मोटर, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601184,77.374474
7	मै० एफ एण्ड बी कार वाशिंग, शॉप नं० 21, 22, 23, 24, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601361,77.375397
8	मै० एम०आर० राईडर मोटर्स (सुरेन्द्र आटो सर्विस), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601144,77.375999
9	मै० सुशील मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601145,77.375909
10	मै० नेशनल मोटर्स (ए कम्पलीट वर्कशॉप), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601338,77.376367
11	मै० महालक्ष्मी मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601531,77.376244
12	मै० डी०के० ऑटोमाबाइल्स, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, समीप ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.605779,77.379784
13	मै० नितिन गिरी कार वाशिंग, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, अपोजिट ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.604322,77.379938
14	मै० दिनेश गुरु बाईक सर्विस एवं मरम्मत, मेन पुस्ता रोड नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622998,77.399078
15	मै० बाबू बाईक सर्विस, मेन पुस्ता रोड नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूलए ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622969,77.399077
16	मै० मल्टी ब्रान्ड कार सर्विस (MBCS), मेन पुस्ता रोड नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूलए ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622875,77.399052
17	मै० अजय बाईक सर्विस एवं रिपेयरिंग, नियर हनुमान मन्दिर बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.619208,77.398048
18	मै० श्री श्याम धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.617592,77.397627
19	मै० श्री शिव धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.611176,77.397803
20	मै० सिटी मोटर्स कार वर्कशॉप, शॉप नं० 01, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603959,77.403819
21	मै० ए टू जेड मोटर्स, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603997,77.403909
22	मै० टू केयर एक्सपिरिया मोटर्स, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.605268,77.402537
23	मै० इण्डियन ऑटोहब, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.607997,77.401379
24	मै० फ्रेण्ड्स मोटर्स, प्लाट नं० पी०के०-08, सेक्टर-122, नोएडा	28.593122,77.936829
25	मै० पेपी कार, ग्राम सोरखा, सेक्टर-115, नोएडा	28.576778,77.399688
26	मै० ऑटो प्रोफेशनल, प्लाट नं० जी०टी०-85, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
27	मै० ऑटो मोटिव एस, प्लाट नं० जी०टी०-53, सेक्टर-117, नोएडा	28.574133,77.398463
28	मै० रॉयल कार सर्विसिंग एण्ड वाशिंग, प्लाट नं० जी०टी०-52, सेक्टर-117, नोएडा	28.57401,77.39830
29	मै० डिटेल्स रिपेयरिंग स्टूडियो, प्लाट नं० जी०टी०-34, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
30	मै० प्रिस्टीन ऑटोवर्क, प्लाट नं० एस०बी०-04, सेक्टर-117, नोएडा	28.574979,77.395232
31	मै० कबीर मोटर्स, प्लाट नं० एस०बी०-21, सेक्टर-117, नोएडा	28.575899,77.394583
32	मै० जूम फोमवाश, सेक्टर-116, अपोजित एलाईट होम, नोएडा	28.564945,77.394355
33	मै० कम्पलीट ऑटो रिपेयरिंग, सेक्टर-116, अपोजित एलाईट होम, नोएडा	28.559299,77.386633
34	मै० धर्म मोटर्स कार मार्केट, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.56963,77.327776

35	मै0 मलिक मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569629,77.327835
36	मै0 इत्तियाज मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569555,77.327942
37	मै0 चौहान कार बाजार, शॉप नं0 06, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
38	मै0 एक्सप्रेस फोम वॉश, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
39	मै0 आकाश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड, नोएडा	28.561435,77.358593
40	मै0 उमेश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड, नोएडा	28.561441,77.359046
41	मै0 ए-वन मोटर्स, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड, नोएडा	28.561441,77.359046
42	मै0 बावई कार वाश, सेक्टर-101, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, नोएडा	28.557452,77.379049
43	मै0 नोएडा कार वाश, अपोजिट द विकेन्ड, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556994,77.381446
44	मै0 कार डिटेलिंग एण्ड कस्टम्स, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556891,77.382491
45	मै0 डिटेलिंग हेडक्वार्टर्स, शॉप नं0 03, 04, मेट्रो स्टेशन रोड, अपोजिट हनुमान मूर्ति, सेक्टर-101, सलारपुर, नोएडा	28.556847,77.382092
46	मै0 सुरेन्द्र ऑटो सर्विस, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.609882,77.353611
47	मै0 नोएडा सर्विस सेन्टर, वर्कशॉप नं0 एल-18, मेन रोड, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.606918,77.355559
48	मै0 एम0के0 शाइन स्पॉ, निकट जय श्रीराम धर्मकाँटा, प्लाट नं0 जी0-03ए, सेक्टर-15, नोएडा	28.584633,77.311687
49	मै0 सेल कार केयर, निकट सेक्टर-34, रेड लाईट, नोएडा	28.582528,77.365857
50	मै0 लकी मोटर, शॉप नं0 02, मेन रोड, ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.583729,77.367761
51	मै0 रोहिल्ला मोटर (कार वॉश), ग्राम गिझोर, सेक्टर-53, नोएडा	28.587502,77.361754
52	मै0 ओम साई कार वॉश, ग्राम-होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.58386,77.368086
53	मै0 डायमंड मोटर्स एवं कार वॉश, निकट प्लाट-नं0 07,गोल्फसिटी, सेक्टर-74, नोएडा	28.57558,77.384209
54	मै0 भूमि कार वाशिंग सेन्टर, सेक्टर-117 अपोजिट सुपरटेक केपटाउन, नोएडा	28.579154,77.39338
55	मै0 राज कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.509633,77.356513
56	मै0 प्रीमियम कार एसेसरीज आउटलेट, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.503974,77.363845
57	मै0 जे0बी0एम0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, सेक्टर-168, नोएडा	28.492303,77.409067
58	मै0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.492881,77.409967
59	मै0 डॉक्टर्स ऑफ डिटेलिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493579, 77.413659
60	मै0 शिव टायर्स कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493585, 77.413626
61	मै0 चौहान सर्विस स्टेशन, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493664, 77.413838
62	मै0 श्री बाला जी वाशिंग, ग्राम शाहदरा, नियर गली नं0-2, सेक्टर-141, नोएडा	28.502219, 77.421952
63	मै0 ऐन्जल कार, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.503003, 77.422908
64	मै0 राणा मोटर्स, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.509036, 77.417934
65	मै0 जे.एस.डी. कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.519892, 77.405882
66	मै0 कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, गली नं0-40, सेक्टर-86, नोएडा	28.520486, 77.404798
67	मै0 भानू कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.521342, 77.403021
68	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं0-91, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.546228, 77.382875
69	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं0-90, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.545998, 77.382773
70	मै0 भीमा ऑटो मोबाईल, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट, नोएडा	28.562781, 77.379751
71	मै0 अनुजा ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट, नोएडा	28.562926, 77.379647
72	मै0 नमधारी ऑटो इंजीनियर, प्लॉट नं0-सी-336, सेक्टर-10, नोएडा	28.590867, 77.330821
73	मै0 स्काईलाइन बजाज, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590914, 77.328309

74	मै0 आदित्य टीवीएस, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590989, 77.328427
75	मै0 न्यू बांके बिहारी ऑटो पार्ट्स, दुकान नं0-1, ई-44, सेक्टर-9, नोएडा	28.586846, 77.327329
76	मै0 वाटरमार्क कार प्रा0 लि0, प्लॉट नं0-एच-29, सेक्टर-63, नोएडा	28.629389, 77.378077
77	मै0 ग्लोसरी गलाइड द डिटेलिंग हब, हरौला, सेक्टर-5, नोएडा	28.589531, 77.316928
78	मै0 कार स्पॉ, सेक्टर-118, नोएडा	28.584062, 77.407383
79	मै0 आलम विककी सर्विस, सेक्टर-118, नोएडा	28.583730, 77.407528
80	मै0 हीरा विककी पॉइन्ट, सेक्टर-118, नोएडा	28.583210, 77.407721
81	मै0 कार वॉश, प्लॉट नं-ए-4/19, सेक्टर-80 नोएडा	28.552287, 77.413084
82	मै0 यामाहा जे.एम. मोटर्स, प्लॉट नं-जी-45, सेक्टर-6, नोएडा	28.593194, 77.322875
83	मै0 स्पार्कल साईन कार केयर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599955, 77.391273
84	मै0 बॉश कार सर्विस, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599966, 77.391144
85	मै0 प्रिन्स ऑटो सर्विस सेन्टर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599604, 77.391138
86	सेक्टर-15, पेट्रोल पम्प परिसर, सेक्टर-15, नोएडा	28.583588, 77.311951
87	एम.के. साईन कार स्पॉ, नियर सेक्टर-15, नोएडा	28.584512, 77.311796
88	के.जे.एन. सर्विस सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586591, 77.317788
89	बाईक स्कूटी रिपेयरिंग सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586671, 77.317789
90	मै0 राजू ई-रिक्शा रिपेयरिंग एण्ड सर्विस, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586405, 77.317994
91	मै0 रॉय ऑटो मोटिव सर्विस, प्लॉट नं0 बी-79, सेक्टर-05, नोएडा	28.590049, 77.322069
92	मै0 श्री साई ऑटो मोबाईल, सेक्टर-09, नोएडा	28.586336, 77.327874
93	मै0 हंश वाशिंग, नियर प्लॉट-बी-72, सेक्टर-10, नोएडा	28.589175, 77.330430
94	मै0 गोट कार वॉश एण्ड डिटेलिंग, प्लॉट-सी-139, सेक्टर-10, नोएडा	28.590362, 77.332946
95	मै0 राजा मोटर्स, प्लॉट-सी-198, सेक्टर-10, नोएडा	28.590758, 77.333103
96	मै0 वीर ऑटो, प्लॉट-डी-110, सेक्टर-10, नोएडा	28.591687, 77.334896
97	मै0 साहिल सर्विस सेन्टर, सेक्टर-73, नोएडा	28.587151, 77.393104
98	मै0 जनेश्वर कार केयर, सेक्टर-120, नोएडा	28.589107, 77.391176
99	मै0 खॉन ऑटो मोबाईल्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593313, 77.385066
100	मै0 पवन मोटर्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593482, 77.385012

Sl. No.	Name & Address of Service Centers established at Non-Confirming Areas	ETP Installed/Not Installed
1	M/s Rashid Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
2	M/s Khushi Auto Service Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
3	M/s Ex Press 3D Car Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
4	M/s Shri Krishna Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
5	M/s JZB Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
6	M/s Nirmal Washing Centre, Nirmal Market, Surjapur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
7	M/s Gear Head Garage, Prasandi Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
8	M/s Jay Shree Shyam Ji, Habibpur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
9	M/s JSB Car Washing Centre, Habibpur, Bhawar Singh Market, Main Road, Chauganpur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
10	M/s VS Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
11	M/s Raja Custom Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
12	M/s Wheel Mart, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
13	M/s Nagar Washing Centre, Ramphool Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
14	M/s Subhi Motors, A-114, Sector- Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
15	M/s Car Wash, Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
16	M/s Delight Car Wash, Plot No.-B-1, AR Market Tilpata, Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
17	M/s Anash Washing Center, In front of Denso Company Pvt Ltd, Tilapata Karnwas, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
18	M/s Automodix, Plot No.- 209, Old Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
19	M/s Mayank Zoom Wash, Natto ka Madaiya, Near Sigma-3, Greater Noida, G.B. Nagar.	Not Installed
20	M/s Shaurya Automobile, Shop No.-61, Jagat Farm Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.	Not Installed
21	M/s Parkash Auto Mobile, Plot No.-3, Gali No.-9, Jagat Farm, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.	Not Installed
22	M/s Balaji Car Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar.	Not Installed
23	M/s Express Car Wash, Tilapata Gol Chakkar, Near 130 Mtr. Road, Greater Noida, G.B. Nagar.	Not Installed
24	M/s Krishna Service Centre, Shekhar Market, Haldoni Mod, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
25	M/s Suhail Washing Center, Haldoni Jalpura Road, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
26	M/s Noida Car Hub, Vill-Jalpura, Near Shiv Mandir, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
27	M/s Classic Automobile, Vill-Jalpura, Mod, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
28	M/s Trip Wash, Vill- Amenabad, Sector-1, Infront of Flora Heritage, Appartment, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
29	M/s Shyam Motors, Behind Arihant by Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
30	M/s KCM Car Washing Center, Chaudhary Khem Chand Market, Near- Mangalya, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
31	M/s Speed Up Autos, Vill- Amenabad, Near HP Petrol Pump, Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed

32	M/s Om Motors, Plot No.-5, Near By Backson College, Tugalpur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
33	M/s Detailing Masters, ETA-2, Makoda, Near Narmada Society, SKA Metro Villa Road, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
34	M/s Sai Service Center, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
35	M/s Express Car Wash, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
36	M/s Car Washing Center, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
37	M/s Motor Craft Sales Pvt Ltd, Dronacharya College, Atta Road, Dankaur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
38	M/s Rana Motors, Dhoom Manikpur, Dadri, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed



पत्रांक: 428/६-216/25

दिनांक:- 05-08-2025

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
 भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर,
 ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2,
 ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 225/2025 News Item titled "वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक-08.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस के विरुद्ध भूगर्भ जल दोहन/संरक्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम 2019 में कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 225/2025 News Item titled "वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक 08.05.2025 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा मुख्य अंश निम्नवत् है-

- 1- '....This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
- 2- The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
- 3- The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 4- The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 05.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 58 वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण किया गया है। जिसका विवरण अक्षांश व देशान्तर सहित निम्नवत् है-

क्र0सं0	वाशिंग सर्विस सेन्टर का नाम व पता	अक्षांश, देशान्तर
1	मै0 फखरु आटो सर्विस सेन्टर, मेन रोड, जेड-335, सेक्टर-12, नोएडा	28.598897,77.342442
2	मै0 निखत मोटर कार वाशिंग, मेन रोड, जेड-15, सेक्टर-12, नोएडा	28.599145,77.342069
3	मै0 एस0एफ0 मोटर वाशिंग सेन्टर, गली नं0 1, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601231,77.372996
4	मै0 राजेश ऑटो सर्विस सेन्टर, शॉप नं0 02, गली नं0 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601255,77.373048
5	मै0 इण्डियन टायर, शॉप नं0 227, गली नं0 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601269,77.373609
6	मै0 सुपर मोटर, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601184,77.374474
7	मै0 एफ एण्ड बी कार वाशिंग, शॉप नं0 21, 22, 23, 24, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601361,77.375397

8	मै0 एम0आर0 राईडर मोटर्स (सुरेन्द्र आर. मोहन), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601144,77.375999
9	मै0 सुशील मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601145,77.375909
10	मै0 नेशनल मोटर्स (ए कम्पलीट वर्कशॉप), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601338,77.376367
11	मै0 महालक्ष्मी मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601531,77.376244
12	मै0 डी0के0 ऑटोमाबाइल्स, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, समीप ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.605779,77.379784
13	मै0 नितिन गिरी कार वाशिंग, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, अपोजिट ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.604322,77.379938
14	मै0 दिनेश गुरु बाईक सर्विस एवं मरम्मत, मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622998,77.399078
15	मै0 बाबू बाईक सर्विस, मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूलए ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622969,77.399077
16	मै0 मल्टी ब्राण्ड कार सर्विस (MBCS), मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूलए ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622875,77.399052
17	मै0 अजय बाईक सर्विस एवं रिपेयरिंग, नियर हनुमान मन्दिर बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.619208,77.398048
18	मै0 श्री श्याम धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.617592,77.397627
19	मै0 श्री शिव धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.611176,77.397803
20	मै0 सिटी मोटर्स कार वर्कशॉप, शॉप नं0 01, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603959,77.403819
21	मै0 ए टू जेड मोटर्स, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603997,77.403909
22	मै0 टू केयर एक्सपिरिया मोटर्स, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.605268,77.402537
23	मै0 इण्डियन ऑटोहब, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.607997,77.401379
24	मै0 फ्रेण्डस मोटर्स, प्लाट नं0 पी0के0-08, सेक्टर-122, नोएडा	28.593122,77.936829
25	मै0 पेपी कार, ग्राम सोरखा, सेक्टर-115, नोएडा	28.576778,77.399688
26	मै0 ऑटो प्रोफेशनल, प्लाट नं0 जी0टी0-85, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
27	मै0 ऑटो मोटिव एस, प्लाट नं0 जी0टी0-53, सेक्टर-117, नोएडा	28.574133,77.398463
28	मै0 रॉयल कार सर्विसिंग एण्ड वाशिंग, प्लाट नं0 जी0टी0-52, सेक्टर-117, नोएडा	28.57401,77.39830
29	मै0 डिटेलिंग रिपेयरिंग स्टूडियो, प्लाट नं0 जी0टी0-34, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
30	मै0 प्रिस्टीन ऑटोवर्क, प्लाट नं0 एस0बी0-04, सेक्टर-117, नोएडा	28.574979,77.395232
31	मै0 कबीर मोटर्स, प्लाट नं0 एस0बी0-21, सेक्टर-117, नोएडा	28.575899,77.394583
32	मै0 जूम फोमवाश, सेक्टर-116, अपोजिट एलाईट होम, नोएडा	28.564945,77.394355
33	मै0 कम्पलीट ऑटो रिपेयरिंग, सेक्टर-116, अपोजिट एलाईट होम, नोएडा	28.559299,77.386633
34	मै0 धर्म मोटर्स कार मार्केट, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.56963,77.327776
35	मै0 मलिक मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569629,77.327835
36	मै0 इन्तियाज मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569555,77.327942
37	मै0 चौहान कार बाजार, शॉप ननं0 06, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
38	मै0 एक्सप्रेस फोम वॉश, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
39	मै0 आकाश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561435,77.358593
40	मै0 उमेश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561441,77.359046
41	मै0 ए-वन मोटर्स, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561441,77.359046
42	मै0 बावई कार वाश, सेक्टर-101, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, नोएडा	28.557452,77.379049
43	मै0 नोएडा कार वाश, अपोजिट द विकेन्ड, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556994,77.381446
44	मै0 कार डिटेलिंग एण्ड कस्टम्स, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556891,77.382491

45	मै0 डिटेलिंग हेडक्वार्टर्स, शॉप नं0 03, 44, मिट्टा स्टेशन रोड, अपोजिट हनुमान मूर्ति, सेक्टर-101, सलारपुर, नोएडा	28.556847,77.382092
46	मै0 सुरेन्द्र ऑटो सर्विस, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.609882,77.353611
47	मै0 नोएडा सर्विस सेन्टर, वर्कशॉप नं0 एल-18, मेन रोड, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.606918,77.355559
48	मै0 एम0के0 शाइन स्पाँ, निकट जय श्रीराम धर्मकाँटा, प्लाट नं0 जी0-03ए, सेक्टर-15, नोएडा	28.584633,77.311687
49	मै0 सेल कार केयर, निकट सेक्टर-34, रेड लाईट, नोएडा	28.582528,77.365857
50	मै0 लकी मोटर, शॉप नं0 02, मेन रोड, ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.583729,77.367761
51	मै0 रोहिल्ला मोटर (कार वॉश), ग्राम गिझोर, सेक्टर-53, नोएडा	28.587502,77.361754
52	मै0 ओम साई कार वॉश, ग्राम-होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.58386,77.368086
53	मै0 डायमंड मोटर्स एवं कार वॉश, निकट प्लाट-नं0 07,गोल्फसिटी, सेक्टर-74, नोएडा	28.57558,77.384209
54	मै0 भूमि कार वाशिंग सेन्टर, सेक्टर-117 अपोजिट सुपरटेक केपटाउन, नोएडा	28.579154,77.39338
55	मै0 राज कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.509633,77.356513
56	मै0 प्रीमियम कार एसेसरीज आउटलेट, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.503974,77.363845
57	मै0 जे0बी0एम0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, सेक्टर-168, नोएडा	28.492303,77.409067
58	मै0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.492881,77.409967

उपरोक्त सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर द्वारा वाशिंग कार्य हेतु भूजल का प्रयोग किया जा रहा है तथा भूजल निकासी हेतु बोरवेल स्थापित पाये गये। भूजल निकासी हेतु उ0प्र0 भूजल विभाग से एनओसी प्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि सूची में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टरों के बोरवेल व एनओसी की जांच किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें व कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टरों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



पत्रांक: 539/L-216/25

दिनांक:- 23-08-2025

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
 भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर,
 ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2,
 ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 225/2025 News Item titled "वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक-08.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस के विरुद्ध भूगर्भ जल दोहन/संरक्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम 2019 में कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 225/2025 News Item titled "वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक 08.05.2025 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा मुख्य अंश निम्नवत् है-

- 1- '....This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
- 2- The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
- 3- The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 4- The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 19.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 42 वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण किया गया है। जिसका विवरण अक्षांश व देशान्तर सहित निम्नवत् है-

क्र0सं0	वाशिंग सर्विस सेन्टर का नाम व पता	अक्षांश, देशान्तर
1	मै0 डॉक्टर्स ऑफ डिटेलिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493579, 77.413659
2	मै0 शिव टायर्स कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा डा	28.493585, 77.413626
3	मै0 चौहान सर्विस स्टेशन, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493664, 77.413838
4	मै0 श्री बाला जी वाशिंग, ग्राम शाहदरा, नियर गली नं0-2, सेक्टर-141, नोएडा	28.502219, 77.421952
5	मै0 ऐन्जल कार, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.503003, 77.422908
6	मै0 राणा मोटर्स, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.509036, 77.417934
7	मै0 जे.एस.डी. कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.519892, 77.405882

8	मै0 कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, गली नं0-40, सेक्टर-86, नोएडा	28.520486, 77.404798
9	मै0 भानू कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.521342, 77.403021
10	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं0-91, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.546228, 77.382875
11	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं0-90, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.545998, 77.382773
12	मै0 भीमा ऑटो मोबाईल, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट, नोएडा	28.562781, 77.379751
13	मै0 अनुजा ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट, नोएडा	28.562926, 77.379647
14	मै0 नमधारी ऑटो इंजीनियर, प्लॉट नं0-सी-336, सेक्टर-10, नोएडा	28.590867, 77.330821
15	मै0 स्काईलाइन बजाज, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590914, 77.328309
16	मै0 आदित्य टीवीएस, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590989, 77.328427
17	मै0 न्यू बांके बिहारी ऑटो पार्ट्स, दुकान नं0-1, ई-44, सेक्टर-9, नोएडा	28.586846, 77.327329
18	मै0 वाटरमार्क कार प्रा0 लि0, प्लॉट नं0-एच-29, सेक्टर-63, नोएडा	28.629389, 77.378077
19	मै0 ग्लोसरी गलाइड द डिटेल्सिग हब, हरौला, सेक्टर-5, नोएडा	28.589531, 77.316928
20	मै0 कार स्पॉ, सेक्टर-118, नोएडा	28.584062, 77.407383
21	मै0 आलम विक्की सर्विस, सेक्टर-118, नोएडा	28.583730, 77.407528
22	मै0 हीरा विक्की पॉइन्ट, सेक्टर-118, नोएडा	28.583210, 77.407721
23	मै0 कार वॉश, प्लॉट नं-ए-4/19, सेक्टर-80 नोएडा	28.552287, 77.413084
24	मै0 यामाहा जे.एम. मोटर्स, प्लॉट नं-जी-45, सेक्टर-6, नोएडा	28.593194, 77.322875
25	मै0 स्पार्कल साईन कार केयर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599955, 77.391273
26	मै0 बॉश कार सर्विस, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599966, 77.391144
27	मै0 प्रिन्स ऑटो सर्विस सेन्टर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599604, 77.391138
28	सेक्टर-15, पेट्रोल पम्प परिसर, सेक्टर-15, नोएडा	28.583588, 77.311951
29	एम.के. साईन कार स्पॉ, नियर सेक्टर-15, नोएडा	28.584512, 77.311796
30	के.जे.एन. सर्विस सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586591, 77.317788
31	बाईक स्कुटी रिपेयरिंग सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586671, 77.317789
32	मै0 राजू ई-रिक्शा रिपेयरिंग एण्ड सर्विस, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586405, 77.317994
33	मै0 रॉय ऑटो मोटिव सर्विस, प्लॉट नं0 बी-79, सेक्टर-05, नोएडा	28.590049, 77.322069
34	मै0 श्री साई ऑटो मोबाईल, सेक्टर-09, नोएडा	28.586336, 77.327874
35	मै0 हंश वाशिंग, नियर प्लॉट-बी-72, सेक्टर-10, नोएडा	28.589175, 77.330430
36	मै0 गोट कार वॉश एण्ड डिटेल्सिग, प्लॉट-सी-139, सेक्टर-10, नोएडा	28.590362, 77.332946
37	मै0 राजा मोटर्स, प्लॉट-सी-198, सेक्टर-10, नोएडा	28.590758, 77.333103
38	मै0 वीर ऑटो, प्लॉट-डी-110, सेक्टर-10, नोएडा	28.591687, 77.334896
39	मै0 साहिल सर्विस सेन्टर, सेक्टर-73, नोएडा	28.587151, 77.393104
40	मै0 जनेश्वर कार केयर, सेक्टर-120, नोएडा	28.589107, 77.391176
41	मै0 खॉन ऑटो मोबाईल्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593313, 77.385066
42	मै0 पवन मोटर्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593482, 77.385012

उपरोक्त सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर द्वारा वाशिंग कार्य हेतु भूजल का प्रयोग किया जा रहा है तथा भूजल निकासी हेतु बोरवेल स्थापित पाये गये। भूजल निकासी हेतु उ0प्र0 भूजल विभाग से एनओसी प्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि सूची में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टरों के बोरवेल व एनओसी की जांच किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें व कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।


भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **289**

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टरों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogrenternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

दिनांक : 18/8/25

सन्दर्भ संख्या :

591 / 1467-05/25

सेवा में,

अधिशापी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर
ए0ई0- 18, असंल गोल्फ लिंक-2,
दादरी मेन रोड, ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स के विरुद्ध भूगर्भ जल दोहन/संरक्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) के मुख्य अंश निम्नवत् है-

".....1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
3. The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
4. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 14.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 33 वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स का निरीक्षण किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

उपरोक्त सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर द्वारा वाशिंग कार्य हेतु भूजल का प्रयोग किया जा रहा है तथा भूजल निकासी हेतु बोरवेल स्थापित पाये गये। भूजल निकासी हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष उपलब्ध नहीं कराये गये। उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि सूची में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर्स के बोरवेल व एन0ओ0सी0 की जाँच किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने व कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर्स के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sl. No.	Name & Address
1	M/s Rashid Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar
2	M/s Khushi Auto Service Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar
3	M/s Ex Press 3D Car Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
4	M/s Shri Krishna Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
5	M/s JZB Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
6	M/s Nirmal Washing Centre, Nirmal Market, Surjapur, Greater Noida, G.B. Nagar
7	M/s Gear Head Garage, Prasandi Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar
8	M/s Jay Shree Shyam Ji, Habibpur, Greater Noida, G.B. Nagar
9	M/s JSB Car Washing Centre, Habibpur, Bhawar Singh Market, Main Road, Chauganpur, Greater Noida, G.B. Nagar
10	M/s VS Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
11	M/s Raja Custom Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
12	M/s Wheel Mart, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
13	M/s Nagar Washing Centre, Ramphool Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
14	M/s Subhi Motors, A-114, Sector- Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
15	M/s Car Wash, Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
16	M/s Delight Car Wash, Plot No.-B-1, AR Market Tilpata, Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
17	M/s Anash Washing Center, In front of Denso Company Pvt Ltd, Tilapata Karnwas, Greater Noida, G.B. Nagar
18	M/s Automodix, Plot No.- 209, Old Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
19	M/s Mayank Zoom Wash, Natto ka Madaiya, Near Sigma-3, Greater Noida, G.B. Nagar.
20	M/s Shaurya Automobile, Shop No.-61, Jagat Farm Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
21	M/s Parkash Auto Mobile, Plot No.-3, Gali No.-9, Jagat Farm, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
22	M/s Balaji Car Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar.
23	M/s Express Car Wash, Tilapata Gol Chakkar, Near 130 Mtr. Road, Greater Noida, G.B. Nagar.

24	M/s Krishna Service Centre, Shekhar Market, Haldoni Mod, Greater Noida, G.B. Nagar
25	M/s Suhail Washing Center, Haldoni Jalpura Road, Greater Noida, G.B. Nagar
26	M/s Noida Car Hub, Vill-Jalpura, Near Shiv Mandir, Greater Noida, G.B. Nagar
27	M/s Classic Automobile, Vill-Jalpura, Mod, Greater Noida, G.B. Nagar
28	M/s Trip Wash, Vill- Amenabad, Sector-1, Infront of Flora Heritage, Appartment, Greater Noida, G.B. Nagar
29	M/s Shyam Motors, Behind Arihant by Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
30	M/s KCM Car Washing Center, Chaudhary Khem Chand Market, Near- Mangalya, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
31	M/s Speed Up Autos, Vill- Amenabad, Near HP Petrol Pump, Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
32	M/s Om Motors, Plot No.-5, Near By Backson College, Tugalpur, Greater Noida, G.B. Nagar
33	M/s Detailing Masters, ETA-2, Makoda, Near Narmada Society, SKA Metro Villa Road, Greater Noida, G.B. Nagar



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogrenternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या :

622/सािग-4-85(NGT)/25

दिनांक : 20/8/25

सेवा में,

अधिसाधी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर
ए0ई0- 18, असंल गोल्फ लिंक-2,
दादरी मेन रोड, ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा क्षेत्रान्तर्गत संचालित वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स के विरुद्ध भूगर्भ जल दोहन हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) के मुख्य अंश निम्नवत् है-

".....1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises Certificate (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
3. The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
4. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के अनुमन्य औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वाशिंग/सर्विस सेन्ट्रो का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 25.08.2025 तक किये गये निरीक्षण में चिन्हित सर्विस/वाशिंग सेन्ट्रो की सूची संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सूची में संलग्न सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर द्वारा वाशिंग कार्य हेतु भूजल का प्रयोग किया जा रहा है। भूजल निकासी हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि सूची में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्ट्रों के वोरवेल व एन0ओ0सी0 की जाँच किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने व कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भक्षेदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सूची में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्ट्रो के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sl. No.	Name & Address of Service Centers established at Non-Confirming Areas	ETP Installed/Not Installed
1	M/s Sai Service Center, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
2	M/s Express Car Wash, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
3	M/s Car Washing Center, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
4	M/s Motor Craft Sales Pvt Ltd, Dronacharya College, Atta Road, Dankaur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
5	M/s Rana Motors, Dhoom Manikpur, Dadri, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed



पत्रांक: 427/L-216/25

दिनांक:- 05-08-2025

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
 पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि० (PVVNL)
 ए-1, सेक्टर-16ए, नोएडा
 (उ०प्र०) 201301

विषय: नोएडा क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन किये जाने की जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 225/2025 News Item titled "वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक 08.05.2025 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा मुख्य अंश निम्नवत् है-

- 1- '...This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
- 2- The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
- 3- The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 4- The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 05.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 58 वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण किया गया है। जिसका विवरण अक्षांश व देशान्तर सहित निम्नवत् है-

क्र०सं०	वाशिंग सर्विस सेन्टर का नाम व पता	अक्षांश, देशान्तर
1	मै० फखरू आटो सर्विस सेन्टर, मेन रोड, जेड-335, सेक्टर-12, नोएडा	28.598897,77.342442
2	मै० निखत मोटर कार वाशिंग, मेन रोड, जेड-15, सेक्टर-12, नोएडा	28.599145,77.342069
3	मै० एस०एफ० मोटर वाशिंग सेन्टर, गली नं० 1, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601231,77.372996
4	मै० राजेश ऑटो सर्विस सेन्टर, शॉप नं० 02, गली नं० 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601255,77.373048
5	मै० इण्डियन टायर, शॉप नं० 227, गली नं० 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601269,77.373609
6	मै० सुपर मोटर, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601184,77.374474
7	मै० एफ एण्ड बी कार वाशिंग, शॉप नं० 21, 22, 23, 24, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601361,77.375397
8	मै० एम०आर० राईडर मोटर्स (सुरेन्द्र आटो सर्विस), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601144,77.375999
9	मै० सुशील मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601145,77.375909

10	मै0 नेशनल मोटर्स (ए कम्पलीट कार्स), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601338,77.376367
11	मै0 महालक्ष्मी मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601531,77.376244
12	मै0 डी0के0 ऑटोमाबाइल्स, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, समीप ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.605779,77.379784
13	मै0 नितिन गिरी कार वाशिंग, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, अपोजिट ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.604322,77.379938
14	मै0 दिनेश गुरु बाईक सर्विस एवं मरम्मत, मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622998,77.399078
15	मै0 बाबू बाईक सर्विस, मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूलए ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622969,77.399077
16	मै0 मल्टी ब्राण्ड कार सर्विस (MBCS), मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूलए ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622875,77.399052
17	मै0 अजय बाईक सर्विस एवं रिपेरिंग, नियर हनुमान मन्दिर बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.619208,77.398048
18	मै0 श्री श्याम धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.617592,77.397627
19	मै0 श्री शिव धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.611176,77.397803
20	मै0 सिटी मोटर्स कार वर्कशॉप, शॉप नं0 01, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603959,77.403819
21	मै0 ए टू जेड मोटर्स, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603997,77.403909
22	मै0 टू केयर एक्सपिरिया मोटर्स, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.605268,77.402537
23	मै0 इण्डियन ऑटोहब, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.607997,77.401379
24	मै0 फ्रेण्डस मोटर्स, प्लाट नं0 पी0के0-08, सेक्टर-122, नोएडा	28.593122,77.936829
25	मै0 पेपी कार, ग्राम सोरखा, सेक्टर-115, नोएडा	28.576778,77.399688
26	मै0 ऑटो प्रोफेशनल, प्लाट नं0 जी0टी0-85, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
27	मै0 ऑटो मोटिव एस, प्लाट नं0 जी0टी0-53, सेक्टर-117, नोएडा	28.574133,77.398463
28	मै0 रॉयल कार सर्विसिंग एण्ड वाशिंग, प्लाट नं0 जी0टी0-52, सेक्टर-117, नोएडा	28.57401,77.39830
29	मै0 डिटेलिंग रिपेरिंग स्टूडियो, प्लाट नं0 जी0टी0-34, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
30	मै0 प्रिस्टीन ऑटोवर्क, प्लाट नं0 एस0बी0-04, सेक्टर-117, नोएडा	28.574979,77.395232
31	मै0 कबीर मोटर्स, प्लाट नं0 एस0बी0-21, सेक्टर-117, नोएडा	28.575899,77.394583
32	मै0 जूम फोमवाश, सेक्टर-116, अपोजिट एलाईट होम, नोएडा	28.564945,77.394355
33	मै0 कम्पलीट ऑटो रिपेरिंग, सेक्टर-116, अपोजिट एलाईट होम, नोएडा	28.559299,77.386633
34	मै0 धर्म मोटर्स कार मार्केट, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.56963,77.327776
35	मै0 मलिक मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569629,77.327835
36	मै0 इन्तियाज मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569555,77.327942
37	मै0 चौहान कार बाजार, शॉप नं0 06, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
38	मै0 एक्सप्रेस फोम वॉश, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
39	मै0 आकाश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561435,77.358593
40	मै0 उमेश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561441,77.359046
41	मै0 ए-वन मोटर्स, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561441,77.359046
42	मै0 बावई कार वाश, सेक्टर-101, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, नोएडा	28.557452,77.379049
43	मै0 नोएडा कार वाश, अपोजिट द विकेन्ड, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556994,77.381446
44	मै0 कार डिटेलिंग एण्ड कस्टम्स, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556891,77.382491
45	मै0 डिटेलिंग हेडक्वार्टर्स, शॉप नं0 03, 04, मेट्रो स्टेशन रोड़, अपोजिट हनुमान मूर्ति, सेक्टर-101, सलारपुर, नोएडा	28.556847,77.382092
46	मै0 सुरेन्द्र ऑटो सर्विस, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.609882,77.353611
47	मै0 नोएडा सर्विस सेन्टर, वर्कशॉप नं0 एल-18, मेन रोड़, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.606918,77.355559

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

48	मै0 एम0के0 शाइन स्पॉ, निकट जय श्री मर्मकाँटा, प्लाट नं0 जी0-03ए, सेक्टर-15, नोएडा	28.584633,77.311687
49	मै0 सेल कार केयर, निकट सेक्टर-34, रेड लाईट, नोएडा	28.582528,77.365857
50	मै0 लकी मोटर, शॉप नं0 02, मेन रोड, ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.583729,77.367761
51	मै0 रोहिल्ला मोटर (कार वॉश), ग्राम गिझोर, सेक्टर-53, नोएडा	28.587502,77.361754
52	मै0 ओम साई कार वॉश, ग्राम-होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.58386,77.368086
53	मै0 डायमंड मोटर्स एवं कार वॉश, निकट प्लाट-नं0 07,गोल्फसिटी, सेक्टर-74, नोएडा	28.57558,77.384209
54	मै0 भूमि कार वाशिंग सेन्टर, सेक्टर-117 अपोजिट सुपरटेक केपटाउन, नोएडा	28.579154,77.39338
55	मै0 राज कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.509633,77.356513
56	मै0 प्रीमियम कार एसेसरीज आउटलेट, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.503974,77.363845
57	मै0 जे0बी0एम0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, सेक्टर-168, नोएडा	28.492303,77.409067
58	मै0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.492881,77.409967


उपरोक्त सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर से उत्प्रवाह जनित होता है तथा उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी व अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व उसके आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त न करने एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित/संचालित न किये जाने वाली दोषी इकाई के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कराये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किये गये हैं-

"... We therefore hereby further direct, that in case the concern State Pollution Control Board make a recommendation to the concerned electrical supply and distribution agency/company, to disconnect electricity supply to any industry, for the reason that its primary effluent treatment plant is not functional, it shall honor such recommendation and shall disconnect the electricity supply to such defaulting industrial concern, forthwith...."

अग्रेतर जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा आपको प्रेषित पत्र सं0 451/सा0प0-65/2023 दिनांक 04.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से गैर-औद्योगिक/आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित/संचालित उद्योगों के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं महायोजना के अन्तर्गत आच्छादित आवासीय क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठान को औद्योगिक विद्युत कनेक्शन न दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा आपको प्रेषित पत्र के अनुपालन में उक्त वर्णित इकाईयों का विद्युत विच्छेदन करने एवं कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टरों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



पत्रांक: 538 / L-216/25
 सेवा में,

दिनांक:- 23-08-2025

मुख्य अभियन्ता,
 पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL)
 ए-1, सेक्टर-16ए, नोएडा
 (उ0प्र0) 201301

विषय: नोएडा क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन किये जाने की जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 225/2025 News Item titled “वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद” appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक 08.05.2025 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा मुख्य अंश निम्नवत् है-

- 1- '....This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled “वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद” appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
- 2- The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
- 3- The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 4- The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 19.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 42 वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण किया गया है। जिसका विवरण अक्षांश व देशान्तर सहित निम्नवत् है-

क्र0सं0	वाशिंग सर्विस सेन्टर का नाम व पता	अक्षांश, देशान्तर
1	मै0 डॉक्टर्स ऑफ डिटेलिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493579, 77.413659
2	मै0 शिव टायर्स कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493585, 77.413626
3	मै0 चौहान सर्विस स्टेशन, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493664, 77.413838
4	मै0 श्री बाला जी वाशिंग, ग्राम शाहदरा, नियर गली नं0-2, सेक्टर-141, नोएडा	28.502219, 77.421952
5	मै0 ऐन्जल कार, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.503003, 77.422908
6	मै0 राणा मोटर्स, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.509036, 77.417934
7	मै0 जे.एस.डी. कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.519892, 77.405882
8	मै0 कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, गली नं0-40, सेक्टर-86, नोएडा	28.520486, 77.404798
9	मै0 भानू कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.521342, 77.403021
10	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं0-91, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.546228, 77.382875
11	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं0-90, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.545998, 77.382773
12	मै0 भीमा ऑटो मोबाइल, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट,	28.562781, 77.379751

नोएडा		
13	मै0 अनुजा ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट, नोएडा	28.562926, 77.379647
14	मै0 नमधारी ऑटो इंजीनियर, प्लॉट नं0-सी-336, सेक्टर-10, नोएडा	28.590867, 77.330821
15	मै0 स्काईलाइन बजाज, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590914, 77.328309
16	मै0 आदित्य टीवीएस, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590989, 77.328427
17	मै0 न्यू बांके बिहारी ऑटो पार्ट्स, दुकान नं0-1, ई-44, सेक्टर-9, नोएडा	28.586846, 77.327329
18	मै0 वाटरमार्क कार प्रा0 लि0, प्लॉट नं0-एच-29, सेक्टर-63, नोएडा	28.629389, 77.378077
19	मै0 ग्लोसरी गलाइड व डिटेल्सिंग हब, हरौला, सेक्टर-5, नोएडा	28.589531, 77.316928
20	मै0 कार स्पॉ, सेक्टर-118, नोएडा	28.584062, 77.407383
21	मै0 आलम विक्की सर्विस, सेक्टर-118, नोएडा	28.583730, 77.407528
22	मै0 हीरा विक्की पॉइन्ट, सेक्टर-118, नोएडा	28.583210, 77.407721
23	मै0 कार वॉश, प्लॉट नं-ए-4 / 19, सेक्टर-80 नोएडा	28.552287, 77.413084
24	मै0 यामाहा जे.एम. मोटर्स, प्लॉट नं-जी-45, सेक्टर-6, नोएडा	28.593194, 77.322875
25	मै0 स्पार्कल साईन कार केयर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599955, 77.391273
26	मै0 बॉश कार सर्विस, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599966, 77.391144
27	मै0 प्रिन्स ऑटो सर्विस सेन्टर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599604, 77.391138
28	सेक्टर-15, पेट्रोल पम्प परिसर, सेक्टर-15, नोएडा	28.583588, 77.311951
29	एम.के. साईन कार स्पॉ, नियर सेक्टर-15, नोएडा	28.584512, 77.311796
30	के.जे.एन. सर्विस सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586591, 77.317788
31	बाईक स्कुटी रिपेयरिंग सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586671, 77.317789
32	मै0 राजू ई-रिक्शा रिपेयरिंग एण्ड सर्विस, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586405, 77.317994
33	मै0 रॉय ऑटो मोटिव सर्विस, प्लॉट नं0 बी-79, सेक्टर-05, नोएडा	28.590049, 77.322069
34	मै0 श्री साई ऑटो मोबाईल, सेक्टर-09, नोएडा	28.586336, 77.327874
35	मै0 हंश वाशिंग, नियर प्लॉट-बी-72, सेक्टर-10, नोएडा	28.589175, 77.330430
36	मै0 गोट कार वॉश एण्ड डिटेल्सिंग, प्लॉट-सी-139, सेक्टर-10, नोएडा	28.590362, 77.332946
37	मै0 राजा मोटर्स, प्लॉट-सी-198, सेक्टर-10, नोएडा	28.590758, 77.333103
38	मै0 वीर ऑटो, प्लॉट-डी-110, सेक्टर-10, नोएडा	28.591687, 77.334896
39	मै0 साहिल सर्विस सेन्टर, सेक्टर-73, नोएडा	28.587151, 77.393104
40	मै0 जनेश्वर कार केयर, सेक्टर-120, नोएडा	28.589107, 77.391176
41	मै0 खॉन ऑटो मोबाईल्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593313, 77.385066
42	मै0 पवन मोटर्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593482, 77.385012

उपरोक्त सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर से उत्प्रवाह जनित होता है तथा उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी व अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व उसके आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

जैसा कि आप अवगत हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त न करने एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित/संचालित न किये जाने वाली दोषी इकाई के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कराये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किये गये हैं-

“.... We therefore hereby further direct, that in case the concern State Pollution Control Board make a recommendation to the concerned electrical supply and distribution agency/company, to disconnect

electricity supply to any industry, for the reason that its primary effluent treatment plant is not functional, it shall honor such recommendation and shall disconnect the electricity supply to such defaulting industrial concern, forthwith....”

अग्रेतर जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा आपको प्रेषित पत्र सं0 451/सा0प0-65/2023 दिनांक 04.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से गैर-औद्योगिक/आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित/संचालित उद्योगों के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं महायोजना के अन्तर्गत आच्छादित आवासीय क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठान को औद्योगिक विद्युत कनेक्शन न दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

300


अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 सी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा आपको प्रेषित पत्र के अनुपालन में उक्त वर्णित इकाईयों का विद्युत विच्छेदन करने एवं कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, नोएडा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टरों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



301

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या :

592/1467-05/25

दिनांक :

18/08/25

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
एन0पी0सी0एल0,
ग्रेटर नोएडा।

सन्दर्भ: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025।

विषय: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) के मुख्य अंश निम्नवत् है-

1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
3. The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
4. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 14.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 33 वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स का निरीक्षण किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

सूची में उल्लिखित कार/मोटर साइकिल वाशिंग/सर्विस सेन्टर से उत्प्रवाह जनित होता है तथा उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त कार/मोटर साइकिल वाशिंग/सर्विस सेन्टर से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले में निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरणी संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उसके आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। जैसा की आप अवगत है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनिनयन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22-02-2017 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त न करने एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित/संचालित न किये जाने वाली दोषी इकाइयों के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कराये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किये गये है:

" We therefore hereby further direct, that in case the concerned State Pollution Control Boards make a recommendation to the concerned electrical supply and distribution agency/company, to disconnect electricity supply to an industry, for the reason that its primary effluent treatment plant is not functional, it shall honour such recommendation, and shall disconnect the electricity supply to such defaulting industrial concern, forthwith...."

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सूची में उल्लिखित कार/मोटर साइकिल वाशिंग/सर्विस सेन्टर का विद्युत विच्छेदन किये जाने एवं कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्टर्स के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sl. No.	Name & Address
1	M/s Rashid Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar
2	M/s Khushi Auto Service Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar
3	M/s Ex Press 3D Car Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
4	M/s Shri Krishna Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
5	M/s JZB Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
6	M/s Nirmal Washing Centre, Nirmal Market, Surjapur, Greater Noida, G.B. Nagar
7	M/s Gear Head Garage, Prasandi Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar
8	M/s Jay Shree Shyam Ji, Habibpur, Greater Noida, G.B. Nagar
9	M/s JSB Car Washing Centre, Habibpur, Bhawar Singh Market, Main Road, Chauganpur, Greater Noida, G.B. Nagar
10	M/s VS Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
11	M/s Raja Custom Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
12	M/s Wheel Mart, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
13	M/s Nagar Washing Centre, Ramphool Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
14	M/s Subhi Motors, A-114, Sector- Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
15	M/s Car Wash, Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
16	M/s Delight Car Wash, Plot No.-B-1, AR Market Tilpata, Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
17	M/s Anash Washing Center, In front of Denso Company Pvt Ltd, Tilapata Karnwas, Greater Noida, G.B. Nagar
18	M/s Automodix, Plot No.- 209, Old Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
19	M/s Mayank Zoom Wash, Natto ka Madaiya, Near Sigma-3, Greater Noida, G.B. Nagar.
20	M/s Shaurya Automobile, Shop No.-61, Jagat Farm Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
21	M/s Parkash Auto Mobile, Plot No.-3, Gali No.-9, Jagat Farm, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
22	M/s Balaji Car Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar.
23	M/s Express Car Wash, Tilapata Gol Chakkar, Near 130 Mtr. Road, Greater Noida, G.B. Nagar.

24	M/s Krishna Service Centre, Shekhar Market, Haldoni Mod, Greater Noida, G.B. Nagar
25	M/s Suhail Washing Center, Haldoni Jalpura Road, Greater Noida, G.B. Nagar
26	M/s Noida Car Hub, Vill-Jalpura, Near Shiv Mandir, Greater Noida, G.B. Nagar
27	M/s Classic Automobile, Vill-Jalpura, Mod, Greater Noida, G.B. Nagar
28	M/s Trip Wash, Vill- Amenabad, Sector-1, Infront of Flora Heritage, Appartment, Greater Noida, G.B. Nagar
29	M/s Shyam Motors, Behind Arihant by Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
30	M/s KCM Car Washing Center, Chaudhary Khem Chand Market, Near- Mangalya, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
31	M/s Speed Up Autos, Vill- Amenabad, Near HP Petrol Pump, Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
32	M/s Om Motors, Plot No.-5, Near By Backson College, Tugalpur, Greater Noida, G.B. Nagar
33	M/s Detailing Masters, ETA-2, Makoda, Near Narmada Society, SKA Metro Villa Road, Greater Noida, G.B. Nagar



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogcenternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या :

620 / 1467 05/25

दिनांक : 25/8/25

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
एन0पी0सी0एल0,
ग्रेटर नोएडा।

सन्दर्भ: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025।

विषय: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) के मुख्य अंश निम्नवत् है—

1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
3. The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
4. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्ट्रो का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 25.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत पूर्व प्रेषित सूची के अतिरिक्त 04 वाशिंग/सर्विस सेन्ट्रो का निरीक्षण किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

सूची में उल्लिखित कार/मोटर साइकिल वाशिंग/सर्विस सेन्टर से उत्प्रवाह जनित होता है तथा उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त कार/मोटर साइकिल वाशिंग/सर्विस सेन्टर से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले में निस्तारित किया जाता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरणी संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उसके आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है। जैसा की आप अवगत है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22-02-2017 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त न करने एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित/संचालित न किये जाने वाली दोषी इकाइयों के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कराये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किये गये हैं:

" We therefore hereby further direct, that in case the concerned State Pollution Control Boards make a recommendation to the concerned electrical supply and distribution agency/company, to disconnect electricity supply to an industry, for the reason that its primary effluent treatment plant is not functional, it shall honour such recommendation, and shall disconnect the electricity supply to such defaulting industrial concern, forthwith..."

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सूची में उल्लिखित कार/मोटर साइकिल वाशिंग/सर्विस सेन्टर का विद्युत विच्छेदन किये जाने एवं कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

क्षेत्रीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

Dr

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित सभी कार/मोटर साइकिल सर्विस/वाशिंग सेन्ट्रो के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sl. No.	Name & Address of Service Centers established at Non-Confirming Areas	ETP Installed/Not Installed
1	M/s Sai Service Center, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
2	M/s Express Car Wash, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
3	M/s Car Washing Center, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
4	M/s Motor Craft Sales Pvt Ltd, Dronacharya College, Atta Road, Dankaur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
5	M/s Rana Motors, Dhoom Manikpur, Dadri, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed



पत्रांक: 426/L-216/25

दिनांक:— 05-08-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर-6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

विषय: नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 225/2025 News Item titled “वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद” appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक 08.05.2025 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा मुख्य अंश निम्नवत् है—

- 1- ‘...This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled “वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद” appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
- 2- The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
- 3- The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 4- The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 05.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 58 वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण किया गया है। जिसका विवरण अक्षांश व देशान्तर सहित निम्नवत् है—

क्र०सं०	वाशिंग सर्विस सेन्टर का नाम व पता	अक्षांश, देशान्तर
1	मै० फखरू आटो सर्विस सेन्टर, मेन रोड, जेड-335, सेक्टर-12, नोएडा	28.598897,77.342442
2	मै० निखत मोटर कार वाशिंग, मेन रोड, जेड-15, सेक्टर-12, नोएडा	28.599145,77.342069
3	मै० एस०एफ० मोटर वाशिंग सेन्टर, गली नं० 1, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601231,77.372996
4	मै० राजेश ऑटो सर्विस सेन्टर, शॉप नं० 02, गली नं० 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601255,77.373048
5	मै० इण्डियन टायर, शॉप नं० 227, गली नं० 9, ममूरा कार मार्केट, सेक्टर-66, नोएडा	28.601269,77.373609
6	मै० सुपर मोटर, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601184,77.374474
7	मै० एफ एण्ड बी कार वाशिंग, शॉप नं० 21, 22, 23, 24, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601361,77.375397
8	मै० एम०आर० राईडर मोटर्स (सुरेन्द्र आटो सर्विस), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601144,77.375999
9	मै० सुशील मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601145,77.375909

10	मै0 नेशनल मोटर्स (ए कम्पलीट वर्कशॉप), अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601338,77.376367
11	मै0 महालक्ष्मी मोटर्स, अपोजिट कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर-71, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा	28.601531,77.376244
12	मै0 डी0के0 ऑटोमाबाइल्स, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, समीप ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.605779,77.379784
13	मै0 नितिन गिरी कार वाशिंग, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, अपोजिट ओम हॉस्पिटल, नोएडा	28.604322,77.379938
14	मै0 दिनेश गुरु बाईक सर्विस एवं मरम्मत, मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622998,77.399078
15	मै0 बाबू बाईक सर्विस, मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622969,77.399077
16	मै0 मल्टी ब्राण्ड कार सर्विस (MBCS), मेन पुस्ता रोड़ नियर ओरियन्टल इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्राम-बहलोलपुर चोटपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.622875,77.399052
17	मै0 अजय बाईक सर्विस एवं रिपेयरिंग, नियर हनुमान मन्दिर बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.619208,77.398048
18	मै0 श्री श्याम धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.617592,77.397627
19	मै0 श्री शिव धर्मकाँटा कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम-बहलोलपुर, सेक्टर-63, नोएडा	28.611176,77.397803
20	मै0 सिटी मोटर्स कार वर्कशॉप, शॉप नं0 01, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603959,77.403819
21	मै0 ए टू जेड मोटर्स, एफ.एन.जी. विहार-2, ग्राम गढ़ी, सेक्टर-121, नोएडा	28.603997,77.403909
22	मै0 टू केयर एक्सपिरिया मोटर्स, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.605268,77.402537
23	मै0 इण्डियन ऑटोहब, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, सेक्टर-121, नोएडा	28.607997,77.401379
24	मै0 फ्रेंडस मोटर्स, प्लाट नं0 पी0के0-08, सेक्टर-122, नोएडा	28.593122,77.936829
25	मै0 पेपी कार, ग्राम सोरखा, सेक्टर-115, नोएडा	28.576778,77.399688
26	मै0 ऑटो प्रोफेशनल, प्लाट नं0 जी0टी0-85, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
27	मै0 ऑटो मोटिव एस, प्लाट नं0 जी0टी0-53, सेक्टर-117, नोएडा	28.574133,77.398463
28	मै0 रॉयल कार सर्विसिंग एण्ड वाशिंग, प्लाट नं0 जी0टी0-52, सेक्टर-117, नोएडा	28.57401,77.39830
29	मै0 डिटेलिंग रिपेयरिंग स्टूडियो, प्लाट नं0 जी0टी0-34, सेक्टर-117, नोएडा	28.593122,77.936829
30	मै0 प्रिस्टीन ऑटोवर्क, प्लाट नं0 एस0बी0-04, सेक्टर-117, नोएडा	28.574979,77.395232
31	मै0 कबीर मोटर्स, प्लाट नं0 एस0बी0-21, सेक्टर-117, नोएडा	28.575899,77.394583
32	मै0 जूम फोमवाश, सेक्टर-116, अपोजिट एलाईट होम, नोएडा	28.564945,77.394355
33	मै0 कम्पलीट ऑटो रिपेयरिंग, सेक्टर-116, अपोजिट एलाईट होम, नोएडा	28.559299,77.386633
34	मै0 धर्म मोटर्स कार मार्केट, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.56963,77.327776
35	मै0 मलिक मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569629,77.327835
36	मै0 इन्तियाज मोटर्स, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569555,77.327942
37	मै0 चौहान कार बाजार, शॉप नं0 06, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
38	मै0 एक्सप्रेस फोम वॉश, सेक्टर-28, दादरी मेन रोड़ निकट मेट्रो लाईन, नोएडा	28.569007,77.325413
39	मै0 आकाश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561435,77.358593
40	मै0 उमेश कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561441,77.359046
41	मै0 ए-वन मोटर्स, ग्राम अग्गापुर, सेक्टर-41, नियर इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, दादरी मेन रोड़, नोएडा	28.561441,77.359046
42	मै0 बावई कार वाश, सेक्टर-101, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, नोएडा	28.557452,77.379049
43	मै0 नोएडा कार वाश, अपोजिट द विकेन्ड, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556994,77.381446
44	मै0 कार डिटेलिंग एण्ड कस्टम्स, नियर हनुमान मन्दिर एण्ड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-101, नोएडा	28.556891,77.382491
45	मै0 डिटेलिंग हेडक्वार्टर्स, शॉप नं0 03, 04, मेट्रो स्टेशन रोड़, अपोजिट हनुमान मूर्ति, सेक्टर-101, सलारपुर, नोएडा	28.556847,77.382092
46	मै0 सुरेन्द्र ऑटो सर्विस, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.609882,77.353611
47	मै0 नोएडा सर्विस सेन्टर, वर्कशॉप नं0 एल-18, मेन रोड़, ग्राम विशनपुर, सेक्टर-58, नोएडा	28.606918,77.355559

48	मै0 एम0के0 शाइन स्पो, निकट जय श्रीराम धर्मकाँटा, प्लाट नं0 जी0-03ए, सेक्टर-15, नोएडा	28.584633,77.311687
49	मै0 सेल कार केयर, निकट सेक्टर-34, रेड लाईट, नोएडा	28.582528,77.365857
50	मै0 लकी मोटर, शॉप नं0 02, मेन रोड, ग्राम होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.583729,77.367761
51	मै0 रोहिल्ला मोटर (कार वॉश), ग्राम गिझोर, सेक्टर-53, नोएडा	28.587502,77.361754
52	मै0 ओम साई कार वॉश, ग्राम-होशियारपुर, सेक्टर-52, नोएडा	28.58386,77.368086
53	मै0 डायमंड मोटर्स एवं कार वॉश, निकट प्लाट-नं0 07,गोल्फसिटी, सेक्टर-74, नोएडा	28.57558,77.384209
54	मै0 भूमि कार वाशिंग सेन्टर, सेक्टर-117 अपोजिट सुपरटेक केपटाउन, नोएडा	28.579154,77.39338
55	मै0 राज कार वाशिंग सेन्टर, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.509633,77.356513
56	मै0 प्रीमियम कार एसेसरीज आउटलेट, ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा	28.503974,77.363845
57	मै0 जे0बी0एम0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, सेक्टर-168, नोएडा	28.492303,77.409067
58	मै0 कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.492881,77.409967

उपरोक्त सभी सर्विस/वाशिंग सेन्टर से उत्प्रवाह जनित होता है तथा उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी व अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व उसके आज्ञापक प्राविधानो का उल्लंघन है।

उपरोक्त सभी सर्विस/वाशिंग सेन्टर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान क्षेत्र के अन्तर्गत है। कृपया उक्त के भू-प्रयोग की जांच कराते हुये दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



पत्रांक: 540/L-216/25

दिनांक: 23-08-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर-6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

विषय: नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 225/2025 News Item titled "वाशिंग सेंटर पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated-27-04-2025 में दिनांक 08.05.2025 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है तथा मुख्य अंश निम्नवत् है—

- 1- '...This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद" appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
- 2- The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
- 3- The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 4- The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 19.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 42 वाशिंग/सर्विस सेन्टरों का निरीक्षण किया गया है। जिसका विवरण अक्षांश व देशान्तर सहित निम्नवत् है—

क्र०सं०	वाशिंग सर्विस सेन्टर का नाम व पता	अक्षांश, देशान्तर
1	मै0 डॉक्टर्स ऑफ डिटेलिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493579, 77.413659
2	मै0 शिव टायर्स कार वाशिंग, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा डा	28.493585, 77.413626
3	मै0 चौहान सर्विस स्टेशन, ग्राम चपरौली, नियर शिवनादर स्कूल, सेक्टर-168, नोएडा	28.493664, 77.413838
4	मै0 श्री बाला जी वाशिंग, ग्राम शाहदरा, नियर गली नं०-2, सेक्टर-141, नोएडा	28.502219, 77.421952
5	मै0 ऐन्जल कार, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.503003, 77.422908
6	मै0 राणा मोटर्स, ग्राम शाहदरा, सेक्टर-141, नोएडा	28.509036, 77.417934
7	मै0 जे.एस.डी. कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.519892, 77.405882
8	मै0 कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, गली नं०-40, सेक्टर-86, नोएडा	28.520486, 77.404798
9	मै0 भानू कार वाशिंग, ग्राम याकूबपुर, सेक्टर-86, नोएडा	28.521342, 77.403021
10	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं०-91, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.546228, 77.382875
11	मै0 महेश वाशिंग सेन्टर, पिलर नं०-90, ग्राम-सलारपुर, नोएडा	28.545998, 77.382773
12	मै0 भीमा ऑटो मोबाईल, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट,	28.562781, 77.379751

नोएडा		
13	मै0 अनुजा ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स, ग्राम-बरोला, सेक्टर-49, नियर विशाल मेगा मार्ट, नोएडा	28.562926, 77.379647
14	मै0 नमधारी ऑटो इंजीनियर, प्लॉट नं0-सी-336, सेक्टर-10, नोएडा	28.590867, 77.330821
15	मै0 स्काईलाइन बजाज, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590914, 77.328309
16	मै0 आदित्य टीवीएस, प्लॉट ए-2, सेक्टर-8, नोएडा	28.590989, 77.328427
17	मै0 न्यू बांके बिहारी ऑटो पार्ट्स, दुकान नं0-1, ई-44, सेक्टर-9, नोएडा	28.586846, 77.327329
18	मै0 वाटरमार्क कार प्रा0 लि0, प्लॉट नं0-एच-29, सेक्टर-63, नोएडा	28.629389, 77.378077
19	मै0 ग्लोसरी गलाइड व डिटेलिंग हब, हरौला, सेक्टर-5, नोएडा	28.589531, 77.316928
20	मै0 कार स्पॉ, सेक्टर-118, नोएडा	28.584062, 77.407383
21	मै0 आलम विककी सर्विस, सेक्टर-118, नोएडा	28.583730, 77.407528
22	मै0 हीरा विककी पॉइन्ट, सेक्टर-118, नोएडा	28.583210, 77.407721
23	मै0 कार वॉश, प्लॉट नं-ए-4/19, सेक्टर-80 नोएडा	28.552287, 77.413084
24	मै0 यामाहा जे.एम. मोटर्स, प्लॉट नं-जी-45, सेक्टर-6, नोएडा	28.593194, 77.322875
25	मै0 स्पार्कल साईन कार केयर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599955, 77.391273
26	मै0 बॉश कार सर्विस, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599966, 77.391144
27	मै0 प्रिन्स ऑटो सर्विस सेन्टर, ग्राम-गढी चौखण्डी, नियर गली नं0-2, सेक्टर-68, नोएडा	28.599604, 77.391138
28	सेक्टर-15, पेट्रोल पम्प परिसर, सेक्टर-15, नोएडा	28.583588, 77.311951
29	एम.के. साईन कार स्पॉ, नियर सेक्टर-15, नोएडा	28.584512, 77.311796
30	के.जे.एन. सर्विस सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586591, 77.317788
31	बाईक स्कुटी रिपेयरिंग सेन्टर, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586671, 77.317789
32	मै0 राजू ई-रिक्शा रिपेयरिंग एण्ड सर्विस, ग्राम-हरौला, सेक्टर-05, नोएडा	28.586405, 77.317994
33	मै0 रॉय ऑटो मोटिव सर्विस, प्लॉट नं0 बी-79, सेक्टर-05, नोएडा	28.590049, 77.322069
34	मै0 श्री साई ऑटो मोबाईल, सेक्टर-09, नोएडा	28.586336, 77.327874
35	मै0 हंश वाशिंग, नियर प्लॉट-बी-72, सेक्टर-10, नोएडा	28.589175, 77.330430
36	मै0 गोट कार वॉश एण्ड डिटेलिंग, प्लॉट-सी-139, सेक्टर-10, नोएडा	28.590362, 77.332946
37	मै0 राजा मोटर्स, प्लॉट-सी-198, सेक्टर-10, नोएडा	28.590758, 77.333103
38	मै0 वीर ऑटो, प्लॉट-डी-110, सेक्टर-10, नोएडा	28.591687, 77.334896
39	मै0 साहिल सर्विस सेन्टर, सेक्टर-73, नोएडा	28.587151, 77.393104
40	मै0 जनेश्वर कार केयर, सेक्टर-120, नोएडा	28.589107, 77.391176
41	मै0 खॉन ऑटो मोबाईल्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593313, 77.385066
42	मै0 पवन मोटर्स, सेक्टर-73, नोएडा	28.593482, 77.385012

उपरोक्त सभी सर्विस/वाशिंग सेन्टर से उत्प्रवाह जनित होता है तथा उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी व अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व उसके आज्ञापक प्राविधानो का उल्लंघन है।

उपरोक्त सभी सर्विस/वाशिंग सेन्टर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान क्षेत्र के अन्तर्गत है। कृपया उक्त के भू-प्रयोग की जांच कराते हुये दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



311

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogrenternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

दिनांक : 10/0/25

सन्दर्भ संख्या :

590 /MGT-85/25

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

सन्दर्भ: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025।

विषय: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्टर्स के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) के मुख्य अंश निम्नवत् है—

“.....1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled “वाशिंग सेंटर पर 1,000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद” appearing in Jagaran City Noida dated 27.04.2025.
2. The news item relates to the approximately 30 crore liters of water wastage every month by illegal vehicle washing centers in Gautam Budh Nagar. According to the article, around 1,000 such centers are operating in the district without obtaining the required No Objection Certificate (NOC) from the Ground Water Department. It also states that registration with the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is mandatory for setting up washing centers. The article highlights that around 40 liters of water is wasted when washing a four-wheeler, and approximately 30 liters is used for a two-wheeler. On average, 250 vehicles - including both two-wheelers and four-wheelers - are washed at each of the 1,000 centers daily. With an average of 50 liters used per vehicle, this leads to a total wastage of about 30 crore liters of water every month. The article further mentions that the used water becomes further unusable due to the presence of washing detergents. As per existing regulations, washing centers are required to install Hazardous Treatment Plants (HTPs). However, neither HTPs nor water harvesting systems are in place at these illegal centers, resulting in untreated water being discharged into drains and causing significant water wastage.
3. The above matter indicates violation of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986.
4. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.....”

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित व कार्यरत वाशिंग/सर्विस सेन्ट्रो का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा दिनांक 14.08.2025 तक अवैध रूप से स्थापित व कार्यरत कुल 33 वाशिंग/सर्विस सेन्ट्रो का निरीक्षण किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। सूची में उल्लिखित प्रश्नगत सभी सर्विस/वाशिंग सेन्टर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आच्छादित है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि मास्टर प्लान में उल्लिखित भू-प्रयोग के विरुद्ध सूची के अनुसार स्थापित/संचालित सर्विस/वाशिंग सेन्टर की जाँच कराते हुये दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत सुनवाई दिनांक 15.09.2025 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sl. No.	Name & Address
1	M/s Rashid Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar
2	M/s Khushi Auto Service Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar
3	M/s Ex Press 3D Car Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
4	M/s Shri Krishna Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
5	M/s JZB Washing Centre, Tilpta Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
6	M/s Nirnal Washing Centre, Nirnal Market, Surjapur, Greater Noida, G.B. Nagar
7	M/s Gear Head Garage, Prasandi Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar
8	M/s Jay Shree Shyam Ji, Habibpur, Greater Noida, G.B. Nagar
9	M/s JSB Car Washing Centre, Habibpur, Bhawar Singh Market, Main Road, Chauganpur, Greater Noida, G.B. Nagar
10	M/s VS Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
11	M/s Raja Custom Motors, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
12	M/s Wheel Mart, Aicher Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
13	M/s Nagar Washing Centre, Ramphool Market, Pi-1, Greater Noida, G.B. Nagar
14	M/s Subhi Motors, A-114, Sector- Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
15	M/s Car Wash, Zeta-1, Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
16	M/s Delight Car Wash, Plot No.-B-1, AR Market Tilpata, Dadri Road, Greater Noida, G.B. Nagar
17	M/s Anash Washing Center, In front of Denso Company Pvt Ltd, Tilapata Karnwas, Greater Noida, G.B. Nagar
18	M/s Automodix, Plot No.- 209, Old Sakipur, Greater Noida, G.B. Nagar
19	M/s Mayank Zoom Wash, Natto ka Madaiya, Near Sigma-3, Greater Noida, G.B. Nagar.
20	M/s Shaurya Automobile, Shop No.-61, Jagat Farm Market, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
21	M/s Parkash Auto Mobile, Plot No.-3, Gali No.-9, Jagat Farm, Gamma-1, Greater Noida, G.B. Nagar.
22	M/s Balaji Car Washing Centre, Jila Panchayat Market, Kasna, Greater Noida, G.B. Nagar.
23	M/s Express Car Wash, Tilapata Gol Chakkar, Near 130 Mtr. Road, Greater Noida, G.B. Nagar.

24	M/s Krishna Service Centre. Shekhar Market, Haldoni Mod, Greater Noida, G.B. Nagar
25	M/s Suhail Washing Center, Haldoni Jalpura Road, Greater Noida, G.B. Nagar
26	M/s Noida Car Hub, Vill-Jalpura, Near Shiv Mandir, Greater Noida, G.B. Nagar
27	M/s Classic Automobile, Vill-Jalpura, Mod, Greater Noida, G.B. Nagar
28	M/s Trip Wash, Vill- Amenabad, Sector-1, Infront of Flora Heritage, Appartment, Greater Noida, G.B. Nagar
29	M/s Shyam Motors, Behind Arihant by Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
30	M/s KCM Car Washing Center, Chaudhary Khem Chand Market, Near- Mangalya, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
31	M/s Speed Up Autos, Vill- Amenabad, Near HP Petrol Pump, Amber, Sector-1, Greater Noida, G.B. Nagar
32	M/s Om Motors, Plot No.-5, Near By Backson College, Tugalpur, Greater Noida, G.B. Nagar
33	M/s Detailing Masters, ETA-2, Makoda, Near Narmada Society, SKA Metro Villa Road, Greater Noida, G.B. Nagar

Sl. No.	Name & Address of Service Centers established at Non-Confirming Areas	ETP Installed/Not Installed
1	M/s Sai Service Center, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
2	M/s Express Car Wash, Haldone, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
3	M/s Car Washing Center, Tugal Pur Market, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
4	M/s Motor Craft Sales Pvt Ltd, Dronacharya College, Atta Road, Dankaur, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed
5	M/s Rana Motors, Dhoom Manikpur, Dadri, Greater Noida, G.B. Nagar	Not Installed

315



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 689/MS-05725

दिनांक : 2/9/25

सेवा में,

नोटिस/पंजीकृत

M/s MS Motors,
Plot No.-393, Udyog Kendra-1, Ecotech-3,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 7530812829

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.08.2025 को श्री अनिल भारद्वाज की उपस्थिति में किया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार आपके सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से सशर्त सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2025 तक प्राप्त थी। तदोपरान्त आपके द्वारा उक्त के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



316 क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

670/MGT-85125

दिनांक : 30/8/25

नोटिस/पंजीकृत

सेवा में,

M/s Motocraft Sales Pvt Ltd,
Plot No. 93, Ecotech-12,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 8826312222

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.08.2025 को श्री गुलशन कामरा की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नालियों के माध्यम से परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता पाया गया।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सर्विस आपके सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से सशर्त सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2024 तक प्राप्त थी। तदोपरान्त आपके द्वारा उक्त के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

12/8

9/c



317

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कामप्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

दिनांक : 28/08/25

सन्दर्भ संख्या :

657 /NUT-05/2025

नोटिस/पंजीकृत

सेवा में,

M/s Jaiswal Motors,
Plot No. 31, Mahila Udyami Park-2, Ecotech-3,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9810062269

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2025 को श्री दीपक की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नालीयों के माध्यम से परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता पाया गया।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

विद्वदीय

(धिकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

28/08/25



318

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

650 / NMT-05 / 2025

दिनांक : 28/08/25

सेवा में,

M/s NRL Wheel LLP,
Plot No. B-1, UPSIDA Industrial Area, Kasna, Site-4,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9927477498

नोटिस/पंजीकृत

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.08.2025 को श्री मोहित गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नालीयों के माध्यम से परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता पाया गया।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

07 %



319

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

633 / NCT-8/25

दिनांक : 26/8/25

सेवा में,

M/s Auto Craft Service Center,
Plot No.-C 16/2, Site-4, UPSIDA Industrial Area,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9911547766

नोटिस/पंजीकृत

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.08.2025 को श्री रिषेन्द्र की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) निष्प्रयोज्य अवस्था में स्थापित पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नालियों के माध्यम से परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता पाया गया।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकीस मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

0/6



320 क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

631 / 1767-0424

दिनांक : 26/8/25

नोटिस/पंजीकृत

सेवा में,

M/s Speed Auto Solutions,
Plot No.-C16/1, Site-4, UPSIDA Industrial Area,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 8745001400

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.08.2025 को श्री मोहित भाटी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र (ई0टी0पी0) निष्प्रयोज्य अवस्था में स्थापित पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नालियों के माध्यम से परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता पाया गया।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।



321 क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

632/146785/25

दिनांक : 26/8/25

सेवा में,

M/s Zaira Motors (Bosch Car Service),
Plot No.-I 54, Site-C, UPSIDA Industrial Area,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9999136364

नोटिस/पंजीकृत

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्कम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.08.2025 को श्रीमती नाजिया की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र स्थापित नहीं पाया गया तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नालीयों के माध्यम से परिसर के बाहर निस्तारित किया जाता पाया गया।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

0/2



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

615 / NH1-85 / 2025

दिनांक : 23/08/25

सेवा में,

M/s Frontier Automobiles Pvt Ltd,
Plot No.-E59, Site-4,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9205080930

नोटिस/पंजीकृत

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.08.2025 को श्री आशीष की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था यथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भषदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogrenternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

582-1467-05/25

दिनांक : 18/08/25

सेवा में,

M/s Shree Ram Motors,
Plot No.-E-86, Site-4,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9654549624

नोटिस/पंजीकृत

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.08.2025 को श्री महेश, जी0एम0 की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था यथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

500 / 1467-80/25

दिनांक :

18/07/25

सेवा में,

M/s Skyline Bajaj,
Plot No.-E-94, Site-4,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9958494516

नोटिस/पंजीकृत

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.08.2025 को श्री अमित भाटी, वर्क शॉप मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था यथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भुवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

SOP / 1467-8445

दिनांक :

18/02/25

सेवा में,

M/s My TVS Car Care Solution,
Plot No.-E-87, Site-4,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9711965550

नोटिस/पंजीकृत

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.08.2025 को श्री गुड्डू सर्विस हेड सूपरवाइजर की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था यथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

326

क्षेत्रीय कार्यालय



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

599 / MGT-85/28

दिनांक : 19/08/24

सेवा में,

नोटिस / पंजीकृत

M/s Shaurya Automobiles,
Plot No.-E-93, Site-4,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9560513644

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.08.2025 को श्री हेमन्त शर्मा की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था यथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

02/08/24 0/0



327

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

दिनांक : 23/08/25

सन्दर्भ संख्या :

614 / NMT-05/2025

नोटिस/पंजीकृत

सेवा में,

M/s Shivaay Autocars Pvt Ltd,
Plot No.-D-021, Site-4,
Greater Noida, G.B. Nagar.
Mob- 9958093930

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 225/2025 (Suo Moto) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 02 पहिया/03 पहिया/04 पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवं धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवं धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना सीधे नाले में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्कम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2025 के अनुपालन में आपके सर्विस सेन्टर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2025 को श्री यश मेहता की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर के वाशिंग प्रक्रिया से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था यथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित नहीं पायी गयी।

जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी सर्विस सेन्टर की जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके सर्विस सेन्टर द्वारा संदर्भित अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है, जो कि संदर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर वांछित सूचनाओं व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (<https://niveshmitra.up.nic.in>) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये संदर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका एवं आपके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

RSP

%

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ताखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

5/27 किया
25/8/25



328

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक

H32538

/सी 1/सा 2415/क०००-१० जल/2025

दिनांक-

पंजीकृत

10/9/25

M/s Auto Craft Service Center,
Plot no. C 16/2, Site-4, UPSIDA, Ind. Area,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9911547766

यह कि M/s Auto Craft Service Center, Plot no. C 16/2, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनो की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनो की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनो की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-26.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री रिशेन्द्र की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 06 वाहनो की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोखेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-42.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-320.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 120.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-26.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

..2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व सरतुति दिनांक-02/09/2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Auto Craft Service Center, Plot no. C 16/2, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s Auto Craft Service Center, Plot no. C 16/2, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्यों न M/s Auto Craft Service Center, Plot no. C 16/2, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND
Date: 10-09-2025
17:34:09
(ए०के० आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1



330

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

फाइल

H32530

/सी. 1/सी०-2419/का०७०/नो० ज०/2025

पंजीकृत

दिनांक- 10/09/25

M/s Frontier Automobiles Pvt. Ltd.,
Plot no. E-59, Site-4, UPSIDA, Ind. Area,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9205080930

यह कि M/s Frontier Automobiles Pvt. Ltd., Plot no. E-59, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-18.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री आशीष की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 07 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया तथा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-48.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-300.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 128.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। सर्विस सेन्टर में विद्युत बाधित होने की दशा में आपूर्ति हेतु 01 डी०जी० सेट स्थापित है, जिसे मा० सी०ए०क्यू०एम० के निर्देश सं०-76 के अनुपालन में ड्यूल प्यूल/आर०ई०सी०डी० में परिवर्तित नहीं पाया गया। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-23.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

..2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Frontier Automobiles Pvt. Ltd., Plot no. E-59, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s Frontier Automobiles Pvt. Ltd., Plot no. E-59, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्यों न M/s Frontier Automobiles Pvt. Ltd., Plot no. E-59, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND

Date: 10-09-2025

17:07:24

(ए०के० आनन्द)

je पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

je



332
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H32541

/सी-1/सा०-2420/का०ब०नो०-जल/2025

दिनांक- 10/09/25

M/s Jaiswal Motors,
Plot no. 31, Mahila Udyami Park-2, Ecotech-3,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9810062269

यह कि M/s Jaiswal Motors, Plot no. 31, Mahila Udyami Park-2, Ecotech-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-22.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री दीपक की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 05 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र निष्प्रयोज्य/डिस्मेन्टल अवस्था में पाया गया तथा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-46.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-296.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 118.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-28.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

...2

अर क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व सरसुति दिनांक-02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अर्गन M/s Jaiswal Motors, Plot no. 31, Mahila Udyami Park-2, Ecotech-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्या न M/s Jaiswal Motors, Plot no. 31, Mahila Udyami Park-2, Ecotech-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्या न M/s Jaiswal Motors, Plot no. 31, Mahila Udyami Park-2, Ecotech-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND

Date: 10-09-2025

17:06:16

(ए०के० आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ए०के०

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1



334

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक

H32535 / सी-1/सा०-2416/का०/२०-जल/2025

दिनांक- 10/09/25

M/s My TVS Car Care Solution,
Plot no. E-87, Site-4, UPSIDA, Ind. Area,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9711965550

यह कि M/s My TVS Car Care Solution, Plot no. E-87, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री गुड्डू की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 05 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-56.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-305.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 117.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-18.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

2

उक्त क्षेत्रीय अधिकारी ग्रेटर नोएडा की आख्या व संपत्ति दिनांक-02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s My TVS Car Care Solution, Plot no. E-87, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s My TVS Car Care Solution, Plot no. E-87, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जायें?
- 2- यह कि क्यों न M/s My TVS Car Care Solution, Plot no. E-87, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दे?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND
Date: 10-09-2025
17:30:26
(ए०के० आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक

M32531

/सौ-1/सा०-2422/का०ब०नो०-जल/2025

दिनांक-

एजीफ्ट

10/09/25

M/s NRL Wheel LLP,
Plot no. B-1, UPSIDA, Ind. Area, Kasna, Site-4,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9927477498

यह कि M/s NRL Wheel LLP, Plot no. B-1, UPSIDA, Ind. Area, Kasna, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री मोहित गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 25 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया तथा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-42.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-276.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 122.0 मिग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। सर्विस सेन्टर में विद्युत बाधित होने की दशा में आपूर्ति हेतु 125 के०वी०ए० का 01 डी०जी० सेट स्थापित है, जिसे मा० सी०ए०क्यू०एम० के निर्देश सं०-76 के अनुपालन में ड्यूल फ्यूल/आर०ई०सी०डी० में परिवर्तित नहीं पाया गया। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-28.08.2025 द्वारा तथा पूर्व निरीक्षण दिनांक-29.07.2025 के दौरान पायी गयी कमियों के दृष्टिगत दिनांक-30.07.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी ग्रेटर नोएडा की आख्या व मंजूरी दिनांक-02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s NRL Wheel LLP, Plot no. B-1, UPSIDA, Ind. Area, Kasna, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s NRL Wheel LLP, Plot no. B-1, UPSIDA, Ind. Area, Kasna, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्यों न M/s NRL Wheel LLP, Plot no. B-1, UPSIDA, Ind. Area, Kasna, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य सनस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND
Date: 10-09-2025
17:03:32
(ए०के० आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

१०



338

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H32536

/सी-1/सा०-2421/का०१०-१०-जल/2025

पञ्जीकृत

दिनांक- 10/09/25

M/s Shaurya Automobiles(Hero),
Plot no. E-93, Site-4,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9560513644

यह कि M/s Shaurya Automobiles (Hero), Plot no. E-93, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री हेमन्त शर्मा की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 35 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया तथा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-52.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-312.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 131.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। सर्विस सेन्टर में विद्युत बाधित होने की दशा में आपूर्ति हेतु 35 के०वी०ए० का 01 डी०जी० सेट स्थापित है, जिसे मा० सी०ए०क्यू०एम० के निर्देश सं०-76 के अनुपालन में ड्यूल फ्यूल/आर०ई०सी०डी० में परिवर्तित नहीं पाया गया। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-19.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

..2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अन्धीन M/s Shaurya Automobiles (Hero), Plot no. E-93, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्या न M/s Shaurya Automobiles (Hero), Plot no. E-93, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्या न M/s Shaurya Automobiles (Hero), Plot no. E-93, Site-4, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दे?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND

Date: 10-09-2025

17:31:36

(ए०के० आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

340

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक

H32532

/सी-1/सा०-2418/का०ब०न०-जल/2025

दिनांक-

पंजीकृत
10/09/25

M/s Shree Ram Motors,
Plot no. E-86, Site-4, UPSIDA, Ind. Area,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9754549624

यह कि M/s Shree Ram Motors, Plot no. E-86, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री महेश की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 35 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र निष्प्रयोज्य/डिस्मैटल अवस्था में पाया गया तथा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-62.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-328.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 143.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। सर्विस सेन्टर में विद्युत बाधित होने की दशा में आपूर्ति हेतु 62.5 के०वी०ए० क्षमता का 01 डी०जी० सेट स्थापित है, जिसे मा० सी०ए०क्यू०एम० के निर्देश सं०-76 के अनुपालन में ड्यूल फ्यूल/आर०ई०सी०डी० में परिवर्तित नहीं पाया गया। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-18.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी ग्रेटर नोएडा की आख्या व सस्ती दिनांक-02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Shree Ram Motors, Plot no. E-86, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s Shree Ram Motors, Plot no. E-86, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्यों न M/s Shree Ram Motors, Plot no. E-86, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND

Date: 10-09-2025

17:05:00

(ए०के० आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

ec

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

ec



342

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पुनीकृत

पत्रांक H32540 / सी-1/सा०-2417/का०ब०नो०-जल/2025

दिनांक- 10/09/25

M/s Skyline Bajaj,
Plot no. E-94, Site-4, UPSIDA, Ind. Area,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9958494516

यह कि M/s Skyline Bajaj, Plot no. E-94, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री अमित भाटी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 25 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं पाया गया तथा अशोधित उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-58.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी-320.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 124.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-18.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

..2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व सरसुति दिनांक 02/09/2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Skyline Bajaj, Plot no. E-94, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s Skyline Bajaj, Plot no. E-94, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्यों न M/s Skyline Bajaj, Plot no. E-94, Site-4, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND
Date: 10-09-2025
17:35:09
(ए०के० आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1



344

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H32537

/सी-1/सा०-2423/का०ब०नो०-जल/2025

दिनांक- 10/09/25

M/s Speed Auto Solutions,
Plot no. C-16/1, UPSIDA, Ind. Area,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 8745001400

यह कि M/s Speed Auto Solutions, Plot no. C-16/1, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-26.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्री मोहन भाटी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 07 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान गाड़ियों की वांशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-44.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी 348.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 140.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-26.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक 02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Speed Auto Solutions, Plot no. C-16/1, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s Speed Auto Solutions, Plot no. C-16/1, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्यों न M/s Speed Auto Solutions, Plot no. C-16/1, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND
Date: 10-09-2025
17:32:44
(ए०के० आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1



346

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक

H32533

/सी-1/सा0-2414/का0पोनो0-जल/2025

दिनांक-

10/09/25

M/s Zaira Motors (Bosch Car Service),
Plot no. I-54, Site-C, UPSIDA, Ind. Area,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
Mobile No. 9999136364

यह कि M/s Zaira Motors (Bosch Car Service), Plot no. I-54, Site-C, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि एक सर्विस सेन्टर है जिसमें चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग एवम् धुलाई का कार्य किया जाता है जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-225/2025 (Suo Moto) जिसमें दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहनों की सर्विसिंग/धुलाई किये जाने हेतु अवैध भूजल दोहन एवम् वाहनों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये बिना निस्तारित किये जाने के संबंध में है, उक्त आदेश दिनांक-08.05.2025 के अनुपालन में सर्विस सेन्टर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-26.08.2025 को सर्विस सेन्टर प्रतिनिधि श्रीमती नाजीया की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सर्विस सेन्टर में प्रतिदिन लगभग 09 वाहनों की धुलाई का कार्य किया जाता है। सर्विस सेन्टर में जल की आपूर्ति एक नग बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। सर्विस सेन्टर द्वारा उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग से भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति/रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान सर्विस सेन्टर से गाड़ियों की वाशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नोएडा में जमा किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। जनित उत्प्रवाह का नमूने के विश्लेषणोपरान्त जनित उत्प्रवाह में बी०ओ०डी०-40.0 मि०ग्रा०/लीटर, सीओडी 338.0 मि०ग्रा०/लीटर तथा टीएसएस 136.0 मि०ग्रा०/लीटर पायी गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। सर्विस सेन्टर में पेंटिंग प्रक्रिया हेतु 01 नग पेन्ट बूथ स्थापित है। उक्त सर्विस सेन्टर को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर को पत्र दिनांक-26.08.2025 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

...2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी ग्रेटर नोएडा की आख्या व समुत्ति दिनांक-02.09.2025 के अनुक्रम में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Zaira Motors (Bosch Car Service), Plot no. I-54, Site-C, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध राक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि क्यों न M/s Zaira Motors (Bosch Car Service), Plot no. I-54, Site-C, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
- 2- यह कि क्यों न M/s Zaira Motors (Bosch Car Service), Plot no. I-54, Site-C, UPSIDA, Ind. Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सर्विस सेन्टर के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
ANAND KUMAR ANAND
Date: 10-09-2025
17:02:09
(१०/०९/२०२५ आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

348

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 72 /N.G.T/ O.A- 220/2025 दिनांक- 9/09/2025

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025

News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं०-392/एल-215/2025 के क्रम में जिसमें वाहन सर्विस व वाहन वाशिंग सेन्टर पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025 News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी, जिसके क्रम में ग्रेटर नोएडा में 34 कार वाशिंग सेन्टरों को चिन्हित करके नोटिस दिये गये हैं, (सूची व नोटिस छाया प्रति सलंगन) नोटिस अवधि समाप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

सलंगनक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विश्वजीत सिंह)

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद

जनपद-गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि:-1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद

जनपद-गौतमबुद्धनगर

349

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 16 /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 29/01/2025


KONCEPT AUTO MOBILES,
PVT. LTD., PLOT NO-A-54,
SECTION-02, NOJDA.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो माने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टर्स पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

350

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 17 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025

KONCEPT AUTO MOBILES PVT. LTD.

PLDT No. B-5,6,7,


Sector-60, Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जावेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारधर्मीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वारिशिंग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वारिशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अड्डाय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनायें प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

351

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 18 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Koncept Auto Mobiles Pvt. Ltd.,
Plot No-A-25, sector - 64,
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹ 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अनियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 19 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Koncept Auto Mobiles Pvt. LTD.
Plot No-A-31, Sector- 2,
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष्य उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

353

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 20 /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Silver Arrow Auto Mobiles Pvt.Ltd.
Plot No-D-7, Sector-8,
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 8 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष्य अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिशोधित की जायेगी।




नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,असल गोलफ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 21 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Koncept Auto Mobiles Pvt. Ltd.
Plot No-C-11,12, Sector-59,
Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा-12.27.28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति योरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति योरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके योरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

355

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 22 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

A&A, Auto mobiles Pvt. Ltd.
Plot No-F-477, Sector-63,
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति चोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति चोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके चोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 23 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vinas Auto Mobiles Pvt. Ltd.
Plot No - A-18, Sector - 6,
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये है।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये है। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 24 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Pankash Auto Mobiles
Plot No-A-38, Sector-08
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिसूचित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18, असल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 25 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Deutsche Cars Pvt. Ltd.
Plot No-H-8, Sector-63
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12, 27, 28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष्य उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 26 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Spirited Auto Cars Ltd.
Plot-No-D-11, Sector-8
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल को प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

360

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 27 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक-03/04/2025


Gautam Budh Cars Pvt. Ltd.
Plot No-B-127, Sector-5
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सञ्ज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेंटरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेंटर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

361

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 28 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Sagar Motors
Plot No-B.123, Sector-05
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 29 /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vipul Motors Pvt. Ltd.
Plot. No- B-124, Sector-5
Noida

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारधर्मी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

363

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 30 / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vipul Motors
J-10, Sector-63,
Noida

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रूपये (₹ 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिसासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गीतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गीतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 31 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गीतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Rohan Motors Ltd.
Plot No-C-9, Sector-01,
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये दिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सन्नेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गीतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गीतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाथ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गीतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गीतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 32 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Uttam Toyota A Division of The
Standard Type Foundry Pvt.Ltd.
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारामुखी प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 33 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025


KONCEPT AUTOMOBILES PH. LTD.
PLOT NO - C-11, 12 SECTOR-59
NOIDA

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष्य उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 34 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 3/09/2025


FAST TRACK AUTO CAR JMDIA PVT LTD
PLOT NO - A-31 - Sec - 63,
NOIDA

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ट्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा10 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- yishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 35 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


RAHUL MOTORS
PLOT NO-A-59, SECTOR-80
PHASE-II NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कसया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0. नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रूपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक-36 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/01/2025


**SHIVA MOTOCORP A UNIT
OF NARNOLI APPARELS' PVT. LTD.
NOIDA**

-:नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष्य उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारणीय प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्वर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिसूचित की जायेगी।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

370

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 37 /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 21/09/2025

NAKSHA ENTERPRISES
PVT. LTD. (ACE HONDA)
NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरयेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरयेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरयेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

जिला अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 38 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


**ACTION AUTOMOTIVES
PRIVATE LIMITED, PLOT No-H-5
SECTOR-63, NOIDA.**

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा झिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्याराधन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की रिश्ति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिसूचित की जायेगी।


मंडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्ल लिक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक-39 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 23/09/2025


**CAPITAL AUTO MOTIVES
PRIVATE LIMITED, PLOT No-J9+FBV Block-D,
Sector-63, NOIDA.**

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्राक्धानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्राक्धान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्राक्धानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्राक्धानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टर्स पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाथ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 40 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


CAPITAL AUTO MOTIVES
PRIVATE LIMITED, PLOT-NO-B-79/80,
SECTOR-2, NOIDA

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिकाारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 41 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


CAPITAL AUTOMOTIVE
PRIVATE LIMITED, PLOT NO-A-7,
SECTOR-83, NOIDA.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 42 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/07/2025


**CAPITAL AUTOMOTIVES
PRIVATE LIMITED, PLOT-NO-C-47,
SECTOR-58, NOIDA.**

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाथं प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिकाारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 43 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


**MOTOR CRAFT SALES,
PRIVATE LIMITED. PLOT NO-15,
SECTOR-140, NOIDA,**

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराना जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिग सेन्ट्रों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिग सेन्टर में सबमसिंबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमसिंबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

377

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 44 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/04/2025


MOTOR CRAFT INDIA,
PVT. LTD. PLOT NO-C-42,
SECTOR-57, NOIDA.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोटिस अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

378

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 45 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक- 23/07/2025


MOTOR-CRAFT, PVT. LTD.
PLOT NO-F-8 & 9, SECTOR-8,
NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



डिस्ट्रिक्ट अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/ तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

379

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 46 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


**SAHU REFRIGERATION
INDUSTRIES LIMITED,
PLOT NO. H-162, SECTOR-63, NOIDA**

-:नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष्य उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

380

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्लक लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

03.09.2025

पत्रांक- 47 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

ALLIED MOTORS LIMITED
PLOT No-W-9, SECTOR-11,
NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्याराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्ट्रो पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

381

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 48 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


PUNJAB MOTORS
WORKS LCV. PLOT No.05, BLOCK-C;
SECTOR-81, NOIDA.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12.27.28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्धारण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या नियेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


डिस्ट्रिक्ट अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोलफ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 49 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/04/2025

SHANTI AUTO SALES
& T. LTD. PLOT NO-B-27,
SECTOR-81, NOIDA.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 8 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अनिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की रिश्त में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 71 / NGT/O.A.225/2025 दिनांक- 9/09/2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025
News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र सं०-622/सामान्य-85(NGT)/2025 के क्रम में जिसमें वाहन सर्विस व वाहन वाशिंग सेन्टर पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-225/2025 News Item titled Noida dated 27-04-2025 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी, जिसके क्रम में ग्रेटर नोएडा में 21 कार वाशिंग सेन्टरों को चिन्हित करके नोटिस दिये गये हैं, (सूची व नोटिस छाया प्रति सलंगन) नोटिस अवधि समाप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

सलंगनक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विश्वजीत सिंह)

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि:-1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, गौतमबुद्धनगर

को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्

जनपद-गौतमबुद्धनगर

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 50 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/07/2025


Shivaay Auto Care
Pvt. Ltd, Plot No-D-021,
Site-4, Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निदेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गीतमबुद्धनगर,
ए०ई०-18, अंसल गोलक लिंक-2
गीतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 51 / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गीतमबुद्धनगर

दिनांक: 08/09/2025


Spirited Auto Car India
Limited, Plot No-B-37,38,
Site-4, Greater Noida.

--:नोटिस--

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संश्लेष उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गीतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विद्यमान प्रकरण ओ०ए० संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कासन अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaJeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹ 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



डी०ओ०
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू०ज०वि / एन०जी०टी० / एक्ट(एन०ओ०सी०)-25 गीतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाय प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गीतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गीतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

386

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 52 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Motor Craft, Plot No-D-40,
Site -4, Greater
Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।


उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रूपये (₹ 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18, अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 53 / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 03/09/2025


Koncept, Automobile
Pvt. Ltd. Plot No-D-10,
Site-4, Greater Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुबांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 51 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025


Sagar Motors,
Plot No-C-4, Site-4,
Near Pargi Chowk Grr. Noida.

—नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुवांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संचय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेक्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेक्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गीतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्लक लिंक-2
गीतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 55 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गीतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025


Hyundai fortune, (Aspire Automobile),
Plot No-D-74, site-4,
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गीतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaleetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्वधा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्वय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गीतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गीतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गीतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गीतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,असल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 56 /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

NAL Kia Plot No-B-1,

Site-4, Greater


Noida.

-:नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


मंडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:-57 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/25


Shaurya Automobile (Hero),
Plot No-E-93, Site-4,
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।


मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्काषण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक- 58 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 01/07/2025

Fortune Hyundai (Aspire Automobile),
Plot No-103, Ecotech -12,
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के सञ्ज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा10 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaleetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नाडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

393

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 59 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


~~Frontier Automobiles~~
Rt.Ltd., Plot No.-E-95, Site-4,
Greater Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

394

कार्यालय

अधिशायी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 60 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक 23/09/2025

Sagar Motors, Plot No-29,

Ecotech-12,


Greater Noida.

—:नोटिस—

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की घनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद' के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनायें प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

395

कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 61 / भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Rana Motare (Nexa),
Plot No-93, Ecotech-12
Greater Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



मोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

मोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

396

अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 62 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

Motor Craft Sails Pvt. Ltd.

Plot No-93, Ecotech-12,


Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति बोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति बोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करे, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके बोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

397

अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 63 /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Vipul Motors Pvt. Ltd.
Plot No-64, Ecotech-12,
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संचय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /मू0ज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 64 / मूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


SkyLine Bajaj, Plot.No-E94,
Site-4, Greater
Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये विना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹ 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मूज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

399

अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 65 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 23/09/2025


Shree Ram Motors,
Plot No.-E-86, Site-4,
Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सादरय सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

400

अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 66 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

My TVS Car Care
Solution, Plot No. E-07,
Site-4, Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारार्थीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निर्घर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अगिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

401

कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 67 / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Sagar Motors, Plot No.-E-36,
Site -4, Neer Paru Chowk,
Greater Noida.

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विद्याराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वांशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वांशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।


जिला अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / मू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोटल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

402

कायालय

अधिशाली अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 68 /भूज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025

RAJ ENTERPRISES, PLOT NO, 10-A,

UDYOG VIHAR,


Greater Noida.

-:नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल विकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwajeetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



मंडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /भूज0वि/एन0जी0टी0/एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर/तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।

नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

403

अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 69 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


Jaiswal Motons, Plot No, 31,
Mahila Udyami Park-2,
Ecotech-3, Greater Noida,

-नोटिस-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाररक्षीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबंधित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (₹0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।



नोडल अधिकारी

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यलय
अधिसासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18,अंसल गोल्फ लिंक-2
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक:- 70 / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 03/09/2025


MS MOTORS, Plot No, -393,
Udyog Kendra-1, Ecotech-3,
Greater Noida.

:-नोटिस:-

उत्तर प्रदेश में भूजल की सुरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन एवं सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम 2019 प्रदेश में 02 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सुगम एवं समयबद्ध संचालन हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि भूजल दोहन की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही कई उद्योगों/संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से भूगर्भ दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध उपयोग एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिये अधिनियम की धारा- 12,27,28 एवं 29 में प्रावधान किये गये हैं।

उक्त कृत हेतु अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत भूगर्भ जल का व्यवसाय अथवा अवैध रूप से दोहन अथवा अनाधिकृत रूप से भूजल दोहन करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति/समूह/संस्था पर प्रति वोरवेल 2-5 लाख तक जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनो दंड निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय अपराध करने पर प्रति वोरवेल जुर्माने की धनराशि का दोगना (10 लाख तक), के साथ दंडित किया जायेगा। अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय उपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते हैं। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं को उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण/अनापत्ति निर्गत कराना तथा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके नोटिस के 07 कार्य दिवसों के अन्दर अनुपालन ना हो पाने की दशा में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने, भूजल निकास हेतु अनापत्ति निर्गत करने इत्यादि की पारदर्शी व्यवस्था हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल upgwdonline.in विकसित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ0ए0 संख्या-225/2025 वाशिंग सेन्टरों पर 1000 अवैध वाहन हर महीने 30 करोड़ लीटर पानी कर रहे बर्बाद के क्रम में संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा कार वाशिंग सेन्टर में सबमर्सिबल के माध्यम से अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है। यदि फर्म को भूजल निष्कर्षण अथवा सबमर्सिबल स्थापना की अनुमति प्राप्त है तो संबन्धित अभिलेखों को 7 कार्य दिवस के अन्दर कार्यालय की ई-मेल आई डी- vishwaieetsingh.exen@gmail.com पर प्रेषित करें, अथवा इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 07 कार्य दिवस के अन्दर upgwdonline.in या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपके वोरवेल को सील करते हुये उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय- 08 की धारा 39(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये दो लाख रुपये (रु0 2,00,000) जुर्माने की राशि अधिरोपित की जायेगी।




नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- / भू0ज0वि / एन0जी0टी0 / एक्ट(एन0ओ0सी0)-25 गौतमबुद्धनगर / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गौतमबुद्धनगर।


नोडल अधिकारी
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,
गौतमबुद्धनगर।